Notifications under AFSPA, 1958 in the State of Arunachal Pradesh.

S.No	Notification No. & Date
1.	S.O.603(E) dated 17.09.1991
2.	AFSPA in 20 km wide belt in the State of Arunachal Pradesh, bordering with the State of Assam was extended vide following proceedings/notifications:-

S.O.646(E) dated 04.05.2006
S.O.1941(E) dated 10.11.2006
S.O.717(E) dated 04.05.2007
S.O.1878(E) dated 04.11.2007
S.O.1082(E) dated 04.05.2008
S.O.2594(E) dated 04.11.2008
S.O.1146(E) dated 04.05.2009
S.O.2824(E) dated 04.11.2009
S.O.2707(E) dated 04.11.2010
S.O.2506(E) dated 04.11.2011
S.O.2674(E) dated 04.11.2012
S.O.3321(E) dated 04.11.2013
S.O.2818(E) dated 04.11.2014

AFSPA in Tirap and Changlang District was extended vide following notifications:-

S.O.891(E) dated 27.09.2000
S.O.259(E) dated 23.03.2001
S.O.932(E) dated 18.09.2001
S.O.336(E) dated 22.03.2002
S.O.365(E) dated 31.03.2003
S.O.1149(E) dated 30.09.2003
S.O.437(E) dated 31.03.2004
S.O.1071(E) dated 30.09.2000
S.O.460(E) dated 31.03.2005
S.O.1431(E) dated 30.09.2005
S.O.475(E) dated 31.03.2006
S.O.1641(E) dated 30.09.2006
S.O.505(E) dated 31.03.2007
S.O.1685(E) dated 30.09.2007
S.O.782(E) dated 31.03.2008
S.O.2315(E) dated 30.09.2008
S.O.890(E) dated 31.03.2009
S.O.2496(E) dated 30.09.2009
S.O.725(E) dated 31.03.2010
S.O.2393(E) dated 30.09.2010
S.O.667(E) dated 31.03.2011
S.O.2294(E) dated 30.09.2011
S.O.706(E) dated 31.03.2012
S.O.1725(E) dated 30.07.2012
S.O. 2341 (E) dated 28.09.2012
S.O.840(E) dated 28.03.2013
S.O.2938(E) dated 26.09.2013
S.O.982(E) dated 31.03.2014
S.O.2563(E) dated 30.09.2014

3.	S.O.869(E) dated 27.03.2015
4.	S.O.1177(E) dated 05.05.2015
5.	S.O.3011(E) dated 05.11.2015
6.	S.O.1646(E) dated 04.05.2016
7.	S.O.3383(E) dated 04.11.2016
8.	S.O.1402(E) dated 04.05.2017
9.	S.O.2469(E) dated 04.08.2017
10.	S.O.3208(E) dated 01.10.2017
11.	S.O.1431(E) dated 01.04.2018
12.	S.O.5020(E) dated 01.10.2018
13.	S.O.1494(E) dated 01.04.2019
14.	S.O.3559(E) dated 01.10.2019
15.	S.O.1235 (E) dated 01.04.2020
16.	S.O.3449(E) dated 01.10.2020

IndiaCode

17.	S.O.1440(E) dated 01.04.2021
18.	S.O.4046(E) dated 01.10.2021
19.	S.O.1551(E) dated 01.04.2022
20.	S.O.4623 (E) dated 30.09.2022
21.	S.O.1422(E) dated 24.03.2023
22.	S.O.4231(E) dated 26.09.2023

IndiaCode

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 517] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 17, 1991/भाद्र 26, 1913
No. 517] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 17, 1991/BHADRA 26, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1991

का.आ. 603 (अ) :—यत केन्द्रीय सरकार को यह मत है कि नीचे अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों में ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति हो गई है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का इस्तेमाल करना आवश्यक हो गया है;

अतः, अब, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त संपूर्ण क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करती है।

अनुसूची

(1) अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और मेघालय राज्यों को असम राज्य के साथ लगी सीमा की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी,

(2) अरुणाचल प्रदेश के तिरप तथा चांगलांग जिले,

(3) नागालैण्ड का मोन जिला ।

[फा.सं. 11011/111/90-एन.ई.-4]
विनय शंकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 1991

S.O. 603 (E).—Whereas the Central Government is of the opinion that the areas described in the schedule herebelow are in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of the civil power is necessary ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958), the Central Government hereby declares the whole of the said areas to be a disturbed area.

SCHEDULE

(i) A 20 Kilometre wide belt in the States of Arunachal Pradesh, Nagaland and Meghalaya along their borders with the State of Assam.

(ii) Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh.

(iii) Mon district of Nagaland.

[F. No. 11011|111|90-NE. IV]
VINAY SHANKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 632] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 27, 2000/आश्विन 5, 1922

No. 632] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 27, 2000/ASVINA 5, 1922

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2000

संदर्भ : गृह मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. का.आ. 603 (अ)।

का.आ. 891 (अ).—यतः अरूणाचल प्रदेश के तीरप एवं चांगलांग जिलों को गृह मंत्रालय की उक्त अधिसूचना के तहत 17•9•1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत अशान्त क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले इस प्रकार की अशान्त एवं खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल शक्ति की सहायता मे सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था, और

2• यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर किए गए एक विवरण में भारत सरकार ने बताया था कि उक्त अधिनियम के तहत "अशान्त क्षेत्रों" की घोषणा से संबंधित सभी मौजूदा अधिसूचनाओं की 20•8•1997 से तीन माह की अवधि के भीतर समीक्षा की जाएगी ।

3• तदनुसार, तीरप एवं चांगलांग जिलों की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई है । कानून एवं व्यवस्था के संबंध में राज्य सरकार की रिपोर्टों से निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं:-

(i) एन0एस0सी0एन0 (के) द्वारा 9 मई, 1999 को लोंगग गांव में श्री वांगजो होसाई की उनके सिर पर लोहे की छड़ से प्रहार करके निर्मम हत्या कर दी गई थी ।

(ii) 20 मई, 2000, को अत्याधुनिक हथियारों तथा हथगोलों से लैस एन0एस0सी0एन0 (के) उग्रवादियों ने बोरडुरिया गांव पर धावा बोल दिया और भूतपूर्व वित्त मंत्री तथा वर्तमान विधायक श्री वांगलट के छोटे भाई सहित छः व्यक्तियों का अपहरण कर लिया ।

(iii) एन0एस0सी0एन0 (के) की गतिविधियों ने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती लोमरियन मोमुक को खोन्सा (पूर्व) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र भरने से रोका ।

(iv) 15 जुलाई 2000 को, अन्य अधिकारियों के साथ तीरप जिले के उपायुक्त को बोरडुरिया गांव में उग्रवादियों द्वारा रोका गया तथा उनके निजी सुरक्षा अधिकारी से ए0के0-47 रायफल छीन ली गई ।

(v) 31 जुलाई, 2000 को, एन0एस0सी0एन0 (के) द्वारा तीसा के निकट खोन्सा- लोंगडिंग सड़क पर पनिडुरिया गांव के 2 व्यक्तियों की इस कारण गोली मारकर हत्या कर दी गई कि ये व्यक्ति एन0एस0सी0एन0 (आई/एम) काडर को तीरप जिले में लाने के लिए जिम्मेदार थे ।

(vi) तीरप/चांगलांग से म्यांमार में तथा पश्चिम कामेंग/तवांग से भूटान में एन0एस0सी0एन0 (के), पी0एल0ए0, उल्फा, बोडो आदि जैसे पूर्वोत्तर के विभिन्न सशस्त्र उग्रवादी संगठनों की भारी आवाजाही की रिपोर्टें प्राप्त हुई है ।

4. राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि राज्य पुलिस बल की सीमित उपलब्धता से इन दो जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं है तथा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना/अर्द्ध सैनिक बलों की सहायता मांगी है । राज्य सरकार ने यह भी सिफारिश की है कि इन दो जिलों को अशान्त क्षेत्र के रूप में घोषित करना जारी रखा जाए ।

5. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार की यह राय है कि तीरप एवं चांगलांग जिलों में स्थिति अशान्त है तथा सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों के प्रयोग की परिस्थितियां विद्यमान हैं । अतः, यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की 17•9•1991 की उक्त अधिसूचना 31 मार्च, 2001 तक प्रभावी रहेगी जब तक कि इसे इससे पूर्व वापिस न लिया जाए।

[सं. 13/27/99-एम जैड]

जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव (एन.ई.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2000

Ref : Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991.

S.O. 891(E).— Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17.9.1991 vide this Ministry's Notification referred to above, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary, and

2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of "disturbed areas" under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20.8.1997.

3. A review of the law & order situation in Tirap & Changlang districts has accordingly been conducted. The State Government reports on law & order bring out the following facts:

(i) On 9th May 1999, Shri Wangjo Hosai was brutally killed by smashing his head with iron rod at Lothung village by the NSCN(K)

(ii) On 20th May 2000, NSCN(K) ultras armed with sophisticated weapons and hand grenades raided Borduria village and kidnapped six persons including the younger brother of Shri Wanglat, Ex-Finance Minister and present MLA.

(iii) The activities of NSCN(K) prevented a BJP candidate, Mrs. Lomrian Mophuk from filing nomination from Khonsa (East) Parliamentary constituency.

(iv) On 15th July 2000 the Deputy Commissioner, Tirap District with other officers were intercepted by ultras at Borduria village and an AK-47 rifle was snatched away from his Personal Security Officer.

(v) On 31st July 2000, two persons of Paniduria village were shot dead by the NSCN(K) at Khonsa-Longding road near Tissa on the ground that these persons were responsible for bringing in NSCN(I/M) cadre to Tirap District.

IndiaCode

(vi) Reports have been received of heavy movements of various armed extremists groups of North East like NSCN(K), PLA, ULFA, Bodo etc. through Tirap/Changlang to Myanmar and through West Kameng/Tawang to Bhutan.

4. The State Government have also reported, that with the limited availability of State police force, it is not possible to fully control the law and order situation in these two districts and have sought the help of Army/para military forces to control the situation. The State Government have also recommended that these two districts be continued to be declared as disturbed.

5. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It is, therefore, decided that the notification dated 17.9.1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 31st March 2001 unless withdrawn earlier.

[No 13/27/99-MZ]

G. K. PILLAI, Jt. Secy. (NE)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 —2000

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 23, 2001/चैत्र 2, 1923

No. 187] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 23, 2001/CHAITRA 2, 1923

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2001

संदर्भ.—गृह मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना संख्या का.आ. 603(अ)।

का.आ. 259(अ).—यत: इस मंत्रालय की उक्त अधिसूचना के तहत अरूणाचल प्रदेश के तीरप एवं चांगलांग जिलों को 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशान्त क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले इतनी अशान्त एवं खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था, और

2. यतः माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए विवरण में भारत सरकार ने बताया था कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत "अशान्त क्षेत्रों" की घोषणा संबंधी सभी वर्तमान अधिसूचनाओं की 20.8.1997 से तीन माह की अवधि के भीतर समीक्षा की जाएगी ।

3. उक्त स्थिति की पिछली बार सितम्बर,2000 में समीक्षा की गई थी तथा दिनांक 27.9.2000 की अधिसूचना संख्या का0आ0 891(अ) के तहत तीरप एवं चांगलांग की "अशान्त क्षेत्रों" के रूप में घोषणा के कार्यकाल को 31.3.2001 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था । अब तीरप एवं चांगलांग जिलों में कानून एवं व्यवस्था की और समीक्षा की गई है । कानून एवं व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार की रिपोर्टों से निम्नलिखित तथ्यों का पता चलता है :-

(i) एनएससीएन(के) के कार्यकर्ताओं ने तीरप जिले के कनुबारी क्षेत्र के गावों से 150 रु0/प्रति घर की दर से गृह कर वसूलना जारी रखा ।

इसी बीच नोवलाय अरंघम नामक व्यक्ति के नेतृत्व मे एनएससीएन(के) कार्यकर्ताओं का एक दल बानफेरा गांव में आया तथा उन्होंने गाँव वासियों को परेशान किया ।

(iii) एनएससीएन(आईएम) का कियोंग न्यामते, जिसका एनएससीएन(के) के कार्यकर्ता द्वारा मई,2000 में लाजू गांव (तीरप जिला) से अपहरण कर लिया गया था, गंगबो गांव से एनएससीएन(के) के अड्डे से भाग निकला तथा एनएससीएन (आईएम) में शामिल हो गया ।

(iii) एनएससीएन(के) के कार्यकर्ताओं के एक दस्ते की 15-1-2001 से चांगलांग के खरसंग सर्किल के नोंगथम गांव में पड़ाव डालने की खबर थी । चांगलांग में उनके पड़ाव डालने का प्रयोजन उस क्षेत्र में जनता से कर वसूल करने वाले एनएससीएन(आईएम) गुट से लड़ना था।

(iv) 29 दिसम्बर,2000 को एनएससीएन(आईएम) के चार सैंदिग्ध सशस्त्र काडर हायर सैकिण्डरी स्कूल मियाओ (चांगलांग जिला) के कार्यालय पर आए तथा कर के रूप मे 23,000रु0 इकट्ठे किए । उन्होंने एसडीओ मियाओसे भी धन मांगा तथा इस बात के लिए जोर डाला कि एसडीओ को सभी विभागों से धन वसूली में उनकी सहायता करनी चाहिए ।

(v) एनएससीएन(आईएम) कार्यकर्ताओं ने 3 गैर जनजातीय लोगों को मियाओ के निकट बांग्लू पहाड़ के जंगल में बुलाया तथा उन्हें मियाओं के दुकानदारों से धन वसूल करने का निदेश दिया ।

(vi) खारसांग क्षेत्र (चांगलांग जिला) के व्यापारियों ने बीएससीएन(आईएम) गुट द्वारा मांगे गए धन का भुगतान किया । एसडीओ, मियाओ तथा

परियोजना निदेशक नमडापहा टाइगर परियोजना को जारी किए गए मांग पत्रों पर म्यांमार के किसी स्वयं भू कैप्टम विक्टर उर्फ रोकुनाथांग तथा थिंगथांग उर्फ केनथांग (म्यांमार मूल का) द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे ।

4. राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि राज्य पुलिस बल की सीमित उपलब्धता से इन दो जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखना संभव नहीं है तथा उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना/अर्धसैनिक बलों की सहायता मांगी है । राज्य सरकार ने भी सिफारिश की है कि इन दोनों जिलों को अशान्त क्षेत्र के रूप मे घोषित करना जारी रखा जाए ।

5. उपर्युक्त को ध्यान मे रखते हुए, केन्द्र सरकार की राय है कि तीरप एवं चांगलांग जिलों में स्थिति अशान्त है तथा यह कि सिविल प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों के प्रयोग की परिस्थितियां मौजूद हैं । अतः, यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर,1991 की उक्त अधिसूचना 30 सितम्बर, 2001 तक प्रवृत रहेगी जब तक कि इसे इससे पूर्व वापिस न लिया जाए ।

[फा. सं. 13/27/99-एम जैड]
जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव (एन.ई.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2001

Ref.—Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E), dated 17-9-1991.

S.O. 259(E).— Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17.9.1991 vide this Ministry's Notification referred to above, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary, and

2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of "disturbed areas" under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20.8.1997.

3. The situation was last reviewed in September 2000 and vide Notification bearing SO 891(E) dated 27.9.2000, it was decided to extend the tenure of the declaration of Tirap and Changlang as 'disturbed areas' upto 31.3.2001. A further review of the law & order situation in Tirap & Changlang districts has since been conducted. The State Government reports on law & order bring out the following facts:

IndiaCode

(i) NSCN(K) activists continued to collect house-tax at the rate of Rs.150/- per house from villages under Kanubari area of Tirap district. Meanwhile, a group of NSCN(K) activists led by one, Nowlai Arangham, visited village Banfera and harassed the villagers.

(ii) One Kimong Nyamtey of NSCN(IM), who was kidnapped by NSCN(K) a activist from Lazu village (Tirap district) in May, 2000, escaped from the NSCN(K) hideout from Longbo village and joined the NSCN(IM).

(iii) A contingent of 60 armed NSCN(K) activists were reportedly camping in the village of Nongtham under Kharsang Circle of Changlang district since 15.1.2001. The purpose of their camping in Changlang was to fight with NSCN(IM) faction, who were collecting taxes from the public in that area.

(iv) On December 29, 2000, four suspected armed NSCN(IM) cadres came to the office of Higher Secondary School, Miao (Changlang district) and collected Rs.23,000 as tax. They also demanded

money from the SDO, Miao and insisted that the SDO should assist in collection money from all the Departments.

(v) NSCN(IM) activists summoned 3 non-tribal persons in the jungle of Wangsu Pahar near Miao and directed them to collect money from the shopkeepers of Miao.

(vi) The businessmen of Kharsang area (Changlang district) paid money, as demanded by the NSCN(IM) outfit. The demand-letters issued to SDO, Miao and Project Director, Namdapha Tiger Project were signed by one self-styled Captain Victor alias Rokunawang of Nagaland and Thingwang alias Kenwang (of Myanmar origin).

4. The State Government have also reported, that with the limited availability of State police force, it is not possible to fully control the law and order situation in these two districts and have sought the help of Army/para military forces to control the situation. The State Government have also recommended that these two districts be continued to be declared as disturbed.

5. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It is, therefore, decided that the notification dated 17th September 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 30th September 2001 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ]

G. K. PILLAI, Jt. Secy. (NE)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 680] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 21, 2001/भाद्र 30, 1923

No. 680] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 21, 2001/BHADRA 30, 1923

CENTRAL ... LIBRARY

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2001

संदर्भ : गृह मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. का.आ. 603(अ)

का.आ. 932(अ).—यतः अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को गृह मंत्रालय की उक्त अधिसूचना के तहत 17.9.1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अशान्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले इस प्रकार की अशान्त एवं खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था, और

2. यतः, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दर्ज किए गए बयान में भारत सरकार ने बताया था कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ". अशान्त क्षेत्र " घोषित किए जाने संबंधी विद्यमान अधिसूचनाओं की 20.8.1997 से तीन माह की अवधि के भीतर समीक्षा की जाएगी ।

3. स्थिति की पिछली बार मार्च 2001 में समीक्षा की गई थी तथा दिनांक 23 मार्च 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 259(अ) के तहत तीरप एवं चांगलांग की "अशान्त क्षेत्र" के रूप में घोषणा की अवधि को 30.9.2001 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था । अब तीरप एवं चांगलांग जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की और समीक्षा की गई है । कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के संबंध में राज्य सरकार की रिर्पोटों से निम्नलिखित तथ्य सामने आते है:-

(i) 10.4.2001 को तीरप जिले के लांगबो गांव में एन एस सी एन (के) तथा एन एस सी एन (आई एम) के बीच एक मुठभेड़ हुई जिसमें एन एस सी एन (के) के 4 सदस्य घायल हुए थे जिनमें से एक

की बाद में मृत्यु हो गई थी । उनकी मुठभेड़ के दौरान दोनों गुटों के बीच हुई गोलीबारी से लगी आग में आठ मकान जल गए थें । तीरप जिलें में कैमई गाँव के निकट एन एस सी एन (आई एम) तथा सेना के बीच हुई एक और मुठभेड़ में सेना के एक जवान के घायल हो जाने की खबर थी ।

(ii) चांगलांग जिले के जयरामपुर सर्किल के अन्तर्गत नामचिक गाँव के जी बी, श्री टी. तीखक से एन एस सी एन (के) के कार्यकर्ताओं द्वारा 5000/-रूपये की माँग किए जाने की खबर थी । उन्होंने चांगलांग जिले के प्रत्येक परिवार से कर के रूप में 100/- रूपये की भी मांग की । चांगलांग जिले के रीमा, नमगोई, लोंगकी तथा नामपोंग क्षेत्रों में श्री अरूण जुगली के नेतृत्व में एन एस सी एन (के) के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक घर से 300/- रूपये की वसूली की ।

(iii) 13.6.2001 को लगभग 1115 बजे, नमडांग चैक-गेट से लगभग 1 कि.मी. दूर मरघरीटा (असम) की ओर उग्रवादियों द्वारा असम राइफल्स के कार्मिकों (एक जेसीओ सहित) पर छोटे आग्नेययास्त्रों तथा हथगोलों से उस समय हमला किया गया जब वे एक गम्भीर रोगी को दो टन के वाहन पर चांगलांग से जयरामपुर ले जा रहे थे । घात लगाकर किए गए इस हमले मे असम राइफल्स के 9 कार्मिकों की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा जेसीओ गम्भीर रूप से घायल हो गया ।

(iv) 12.7.2001 को लगभग 0010 बजे तीरप जिले में गैस एजेंसी, खोनसा के निकट भूमिगत लोगों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों पर घात लगाकर हमला किया जिसमें हैड कांस्टेबल अमीर हुसैन तथा कांस्टेबल लकबीर सिंह की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा कांस्टेबल दीन मोहम्मद गम्भीर रूप से घायल हो गया ।

(v) 20.7.2001 को तीरप जिले के लाजू सर्किल के नीचे पांकोंग तथा सनलियाम के बीच भूमिगत लोगों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों पर घात लगाकर हमला किया जिसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 6 कार्मिक मारे गए तथा 6 अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गए ।

(vi) एन एस सी एन (आई एम) ने लांगडिंग पुमाव क्षेत्र के स्थानीय नेताओं तथा छोटे ठेकेदारों से 5000/- रूपये प्रति व्यक्ति की दर से धन की मांग की है । कनुबारी के चाय बागान मालिकों से अपनी बिक्री का 3% भुगतान करने के लिए कहा गया था ।

(vii) 18.7.2001 को एन एस सी एन (के) के कार्यकर्ताओं ने तीरप जिले के कनुबारी सर्किल के अन्तर्गत लुआक्सिम गांव से श्री बांगलोंग वांगजेन, तूजेन बिहाम ओर बांग्झे वांगजेन का अपहरण किया और फिरौती के लिए 1 लाख रू0 की मांग की । बताया जाता है कि बाद में लुआकिसम ग्रामवासियों ने 15000 रूपये दिये थे और अपरहरण किए गए व्यक्तियों को नागालैंड के नोकयांग गांव से छुड़ाया था ।

(viii) बताया गया है कि एन एस सी एन (आई एम) कार्यकर्ताओं ने चांगलांग जिले के मियाओं एवं खारसांग क्षेत्र के पी डबल्यू डी, आर डबल्यू डी और पी एच ई डी के अधिकारियों को नोटिस देकर प्रत्येक से तीन-तीन लाख रूपये की मांग की । उन्होंने कृषि विभाग के कर्मचारियों से 2% प्रति माह की दर पर 24% वार्षिक सेवा कर की भी मांग की ।

(ix) 25.7.2001 को लगभग एन एस सी एन (आई एम) के छः कार्यकर्ता चांगलांग जिले के दीयूम सर्किल के अंतर्गत मनाभूम स्थित इंडियन ऑयल कम्पनी में गये और प्रत्येक कर्मचारी से 10,000 रूपये की मांग की तथा उन्हें मामले की सूचना सुरक्षा बलों को न देने की चेतावनी दी ।

4. राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि सीमित संख्या में राज्य पुलिस बल उपलब्ध होने के कारण इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को पूर्ण नियंत्रण में रखना संभव नहीं है । राज्य सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए सेना / अर्धसैनिक बलों की मदद मांगी है । राज्य सरकार ने यह सिफारिश भी की है कि इन दोनों क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित रहने दिया जाए ।

5. उपरोक्त के मद्देनजर , केन्द्र सरकार की यह राय है कि तीरप और चांगलांग जिलों में स्थिति अशांत है और कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद है कि वहां सिविल अधिकारियों की मदद के लिए सशस्त्र बल भेजे जाने चाहिए। अतः यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17.9.1991 की उपरोक्त अधिसूचना, पहले वापिस न लिये जाने की स्थिति में 31 मार्च, 2002 तक लागू रहेगी ।

[सं. 13/27/99-एम जैड]

सुरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव (एन.ई.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2001

Ref : Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991.

S.O. 932(E).— Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17.9.1991 vide this Ministry's Notification referred to above, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary, and

2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of "disturbed areas" under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20.8.1997.

3. The situation was last reviewed in March 2001 and vide Notification bearing SO 259(E) dated 23rd March.2001, it was decided to extend the tenure of the declaration of Tirap and Changlang as 'disturbed areas' upto 30.9.2001. A further review of the law & order situation in Tirap & Changlang districts has since been conducted. The State Government reports on law & order bringing out the following facts:

(i) On 10.4.2001, an encounter took place between NSCN(K) and NSCN(IM) at village Longbo of Tirap District in which four NSCN(K) cadres were injured of which one is reported to have died later. During their encounter eight houses were gutted in fire caused by firing between the two factions. In an another encounter between NSCN(IM) and Army near Kaimai village in Tirap district one army person was reportedly injured.

(ii) NSCN(K) activists reportedly demanded Rs.5000/- from Shri T. Tikhak, GB of Namchik village under Jairampur circle of Changlang district. They also demanded Rs.100/- from each family in Changlang district as tax. In Rima, Namgoi, Longkey and Nampong areas of Changlang district, the NSCN(K) activists led by Shri Arun Jugli collected Rs.300/- per house.

(iii) On 13.6.2001, at about 1115 hours, ten Assam Rifles personnel (including on e JCO) while escorting a serious patient oon a 2 ton vehicle from Changlang to Jairampur were attacked by militants with small fire arms and grenades at about 1 km away from Namdang check-gate towards Margherita (Assam). In the ambush nine Assam Rifles personnel died on the spot and the JCO was grievously injured.

(iv) On 12.7.2001 at about 0010 hours, the Under Grounds ambushed CRPF personnel near Gas Agency, Khonsa in Tirap District killing Head Constable Amir Hussain and Constable Lakbir Singh on the spot and leaving Constable Din Mohammed seriously injured.

IndiaCode

(v) On 20.7.2001, the Undergrounds ambushed CRPF personnel in between Ponkong and Sanllam village under Lazu circle of Tirap district in which 6 CRPF personnel were killed and six other seriously injured.

(vi) The NSCN(IM) has demanded money from the local leaders and petty contractors of Longding-Pumao area at the rate of Rs.5000/- each. The tea garden owners of Kanubari were also asked to pay 3% of their sales.

(vii) On 18.7.2001, the NSCN(K) activists abducted Shri Wanglong Wangjen, Tujen Biham and Wangjeih Wangjen from Luaksim village under Kanubari circle of Tirap district and demanded Rs.1 lakh as ransom. Later the Luaksim villagers reportedly paid Rs.15,000/- and got the abducted person released from Nokyang village of Nagaland.

(viii) It is reported that NSCN(IM) activists served demand notices t PWD, RWD and PHED authorities of Miao and Kharsang area of Changlang district to pay Rs.3 lakhs each. They also demanded 24% of yearly service tax at rate of 2% per month from the employees of Agriculture department.

(ix) On 25.7.2001, about six NSCN(IM) activists visited Indian Oil Company at Manabhum under Diyum circle of Changlang district and demanded Rs.10,000/- from each employee with the warning not to report the matter to security forces.

4. The State Government have also reported, that with the limited availability of State police force, it is not possible to fully control the law and order situation in these two districts and have sought the help of Army/para military forces to control the situation. The State Government have also recommended that these two districts be continued to be declared as disturbed.

India Code

5. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It is, therefore, decided that the notification dated 17th September 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 31st March 2002 unless withdrawn earlier.

[No. 13/27/99-MZ]

SURENDRA KUMAR, Jt. Secy. (NE)

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2002/चैत्र 5, 1924

No. 292] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2002/CHAITRA 5, 1924

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
3 X 02
GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2002

संदर्भ : गृह मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 603(ई)।

का.आ. 336(अ).—यत: इस मंत्रालय की उपर्युक्त अधिसूचना के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 17-9-1991 से अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि, केन्द्र सरकार की राय में, उपर्युक्त जिलों में ऐसी अशांत एवं खतरनाक स्थिति व्याप्त थी कि वहां सिविल प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक हो गया था, और

2. यत: माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर विवरण में भारत सरकार ने यह कहा था कि पूर्वोक्त अधिनियम के अंतर्गत "अशांत क्षेत्रों" की घोषणा संबंधी सभी मौजूदा अधिसूचनाओं की 20-8-1997 से तीन माह की अवधि के अन्दर समीक्षा की जाए।

3. पिछली बार सितम्बर, 2001 में स्थिति की समीक्षा की गई थी और दिनांक 18-9-2001 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 932(अ) के तहत 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में तिरप एवं चांगलांग संबंधी घोषणा के कार्यकाल को बढ़ाकर 31-3-2002 तक करने का निर्णय लिया गया था। तिरप एवं चांगलांग जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की अब आगे समीक्षा की गई है। राज्य सरकार ने कानून एवं व्यवस्था संबंधी रिपोर्टों के बारे में सूचित किया है कि इन रिपोर्टों में, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सुरक्षा बलों और एन एस सी एन (आई एम), एन एस सी एन (के), उल्फा के बीच हुई मुठभेड़ों, भूमिगत तत्वों द्वारा विध्वंसकारी साहित्य के वितरण, किए गए जबरन धन वसूली के प्रयासों, भूमिगत तत्वों से शस्त्र एवं गोला बारूद की बरामदगी का विवरण दिया गया है।

4. राज्य सरकार ने बताया है कि तिरप और चांगलांग में सेना और अर्ध सैनिक बल उग्रवादियों को निकाल भगाने के लिए विद्रोह-विरोधी अभियानों में लगे हुए हैं। राज्य सरकार ने यह भी सिफारिश की है कि इन दो जिलों को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित रहने दिया जाए।

5. उपर्युक्त को देखते हुए, केन्द्र सरकार का यह मत है कि तिरप एवं चांगलांग जिलों में स्थिति अशांत है और सिविल प्रशासन की मदद के लिए सशस्त्र बलों के प्रयोग के लिए परिस्थितियां मौजूद हैं। अत: यह निर्णय लिया जाता है कि 17 सितम्बर, 1991 की उपर्युक्त अधिसूचना, जब तक कि इसे इससे पूर्व वापिस न लिया जाए, 30 सितम्बर, 2002 तक प्रवृत रहेगी।

[फा. सं. 13/27/99-एम जैड]

सुरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव (एन ई)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2002

Ref. : Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991.

S.O. 336(E).—Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification referred to above, as, in the opinion

of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary, and

2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of "disturbed areas" under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20-8-1997.

3. The situation was last reviewed in September, 2001 and vide Notification bearing SO 932(E), dated 18-9-2001, it was decided to extend the tenure of the declaration of Tirap and Changlang as 'disturbed areas' upto 31-3-2002. A further review of the law and order situation in Tirap and Changlang districts has since been undertaken. The State Government has intimated about reports on law and order detailing a number of encounters between Security Forces and NSCN(IM), NSCN(K), ULFA, distribution of subversive literature by undergrounds attempts at extortion and seizure of Arms and Ammunition from the undergrounds during the period under review.

4. The State Government have reported, that in Tirap and Changlang the Army and Para Military Forces are engaged in counter insurgency operations to flush out the militants. The State Government have also recommended that these two districts be continued to be declared as disturbed.

5. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It is, therefore, decided that the notificaion dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 30th September, 2002 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ]

SURENDRA KUMAR, Jt. Secy. (NE)

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 908] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 2003/आश्विन 9, 1925

No. 908] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2003/ASVINA 9, 1925

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2003

संदर्भ : गृह मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. का.आ. 603 (अ)।

का.आ. 1149(अ).— यत: अरूणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को गृह मंत्रालय की उक्त अधिसूचना के तहत 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले इस प्रकार की अशांत एवं खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था; और

2. यत: माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दर्ज किए गए बयान में भारत सरकार ने बताया था कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किए जाने संबंधी सभी विद्यमान अधिसूचनाओं की 20-8-1997 से तीन माह की अवधि के भीतर समीक्षा की जाएगी;

3. स्थिति की पिछली बार मार्च, 2003 में समीक्षा की गई थी और दिनांक 31-3-2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 365(अ) के तहत तीरप एवं चांगलांग की 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा की अवधि को 30-9-2003 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। तीरप और चांगलांग जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की पुन: समीक्षा की गई है। अरूणाचल प्रदेश के इन दो जिलों में विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। विद्रोही संगठन सुरक्षा बलों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाइयों का सहारा लेने के अतिरिक्त बड़े पैमाने पर जबरन धन-वसूली में लगे हुए हैं। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे विद्रोह विरोधी अभियान तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से सुधार हुआ है। केन्द्र सरकार यह महसूस करती है कि इन प्रयासों को न केवल जारी रखने की बल्कि इनमें तेजी लाने की भी आवश्यकता है;

4. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर केन्द्र सरकार की यह राय है कि तीरप और चांगलांग जिलों में स्थिति अशांत है और कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं कि वहां सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती को जारी रखा जाना चाहिए। अत: यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की उपर्युक्त अधिसूचना 31 मार्च, 2004 तक लागू रहेगी बशर्ते कि इसे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 13/27/99-एम.जेड.]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव (एन ई)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2003

Ref : Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991.

S.O. 1149(E).— Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 *vide* this Ministry's Notification referred to above, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid to civil power was necessary; and

2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of 'disturbed areas' under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20-8-1997;

3. The situation was last reviewed in March 2003 and *vide* Notification bearing S.O. 365(E) dated 31-3-2003, it was decided to extend the tenure of the declaration of Tirap and Changlang as 'disturbed areas' upto 30-9-2003, a further review of the law and order situation in Tirap and Changlang districts has since been undertaken. These two districts of Arunachal Pradesh continue to be in the grip of insurgency. The insurgent outfits have been indulging in large-scale extortion besides resorting to acts of violence directed against the security forces. The sustained counter-insurgency operation by the Security Forces and steps taken by the State Government has shown improvement. The Central Government feels that these efforts not only need to be sustained but intensified;

4. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 31st March, 2004 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ]

RAJIV AGARWAL, Jt. Secy. (NE)

India Code

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2003/चैत्र 11, 1925
No. 296] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2003/CHAITRA 11, 1925

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2003

संदर्भ : गृह मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. का.आ. 603(अ)।

का.आ. 365(अ).—यत:, अरूणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को गृह मंत्रालय की उक्त अधिसूचना के तहत 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले इस प्रकार की अशांत एवं खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था, और

2. यत: माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दर्ज किए गए बयान में भारत सरकार ने बताया था कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किए जाने संबंधी सभी विद्यमान अधिसूचनाओं की 20-8-1997 से तीन माह की अवधि के भीतर समीक्षा की जाएगी।

3. स्थिति की पिछली बार सितंबर, 2002 में समीक्षा की गई थी और दिनांक 30-9-2002 की अधिसूचना सं. का.आ. 1050(अ) के तहत तीरप एवं चांगलांग की 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा की अवधि को 31-3-2003 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। अब तीरप और चांगलांग जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की और समीक्षा की गई है। राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में समीक्षाधीन अवधि के दौरान सुरक्षा बलों और एन.एस.सी.एन. (आई.एम.), एन.एस.सी.एन. (के) के बीच हुई मुठभेड़ों, इन विद्रोही संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर धन ऐंठने, एवं हिंसात्मक कार्य करने तथा शस्त्रों और गोलाबारूद की जब्ती की सूचना दी है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि तीरप और चांगलांग से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए सेना, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल और सिविल बल मिलकर उग्रवाद से लड़ रहे हैं। अत: राज्य सरकार ने यह सिफारिश भी की है कि इन दो जिलों की अशांत जिलों के रूप में की गई घोषणा को जारी रखा जाए।

4. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर केन्द्र सरकार की यह राय है कि तीरप और चांगलांग जिलों में स्थिति अशांत है और कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं कि वहां सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती को जारी रखा जाना चाहिए। अत: यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की उपर्युक्त अधिसूचना पहले वापस न लिए जाने की स्थिति में 30 सितंबर, 2003 तक लागू रहेगी।

[फा. सं. 13/27/99-एम.जेड.]

के. एस. रामासूब्बन, संयुक्त सचिव (बी एम)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2003

Ref. : Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991.

S.O. 365(E).—Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification referred to above, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary, and

2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of "disturbed areas" under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20-8-1997;

3. The situation was last reviewed in September, 2002 and vide Notification bearing S.O. 1050(E) dated 30-9-2002, it was decided to extend the tenure of the declaration of Tirap and Changlang as 'disturbed areas' upto 31-3-2003. A further review of the law and order situation in Tirap and Changlang districts has since been undertaken. The State Government has in their report detailed a number of encounters between Security Forces and NSCN(IM), NSCN(K), large-scale extortion, acts of violence by these insurgent outfits and seizure of arms and ammunition during the period under review. The State Government has reported that the Army, CPMF and Civil forces are jointly carrying counter insurgency operations to flush out militants from Tirap and Changlang. The State Government have, therefore, also recommended that these two districts be continued to be declared as disturbed.

4. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 30th September, 2003 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ]

K. S. RAMASUBBAN, Jt. Secy. (BM)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 908] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 2003/आश्विन 9, 1925

No. 908] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2003/ASVINA 9, 1925

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2003

संदर्भ : गृह मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. का.आ. 603 (अ)।

का.आ. 1149(अ).— यत: अरूणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को गृह मंत्रालय की उक्त अधिसूचना के तहत 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले इस प्रकार की अशांत एवं खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था; और

2. यत: माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दर्ज किए गए बयान में भारत सरकार ने बताया था कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किए जाने संबंधी सभी विद्यमान अधिसूचनाओं की 20-8-1997 से तीन माह की अवधि के भीतर समीक्षा की जाएगी;

3. स्थिति की पिछली बार मार्च, 2003 में समीक्षा की गई थी और दिनांक 31-3-2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 365(अ) के तहत तीरप एवं चांगलांग की 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा की अवधि को 30-9-2003 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। तीरप और चांगलांग जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की पुन: समीक्षा की गई है। अरूणाचल प्रदेश के इन दो जिलों में विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। विद्रोही संगठन सुरक्षा बलों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाइयों का सहारा लेने के अतिरिक्त बड़े पैमाने पर जबरन धन-वसूली में लगे हुए हैं। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे विद्रोह विरोधी अभियान तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से सुधार हुआ है। केन्द्र सरकार यह महसूस करती है कि इन प्रयासों को न केवल जारी रखने की बल्कि इनमें तेजी लाने की भी आवश्यकता है;

4. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर केन्द्र सरकार की यह राय है कि तीरप और चांगलांग जिलों में स्थिति अशांत है और कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं कि वहां सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती को जारी रखा जाना चाहिए। अत: यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की उपर्युक्त अधिसूचना 31 मार्च, 2004 तक लागू रहेगी बशर्ते कि इसे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 13/27/99-एम.जेड.]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव (एन ई)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2003

Ref : Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991.

S.O. 1149(E).— Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 *vide* this Ministry's Notification referred to above, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid to civil power was necessary; and

2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of 'disturbed areas' under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20-8-1997;

3. The situation was last reviewed in March 2003 and *vide* Notification bearing S.O. 365(E) dated 31-3-2003, it was decided to extend the tenure of the declaration of Tirap and Changlang as 'disturbed areas' upto 30-9-2003, a further review of the law and order situation in Tirap and Changlang districts has since been undertaken. These two districts of Arunachal Pradesh continue to be in the grip of insurgency. The insurgent outfits have been indulging in large-scale extortion besides resorting to acts of violence directed against the security forces. The sustained counter-insurgency operation by the Security Forces and steps taken by the State Government has shown improvement. The Central Government feels that these efforts not only need to be sustained but intensified;

4. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 31st March, 2004 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ]

RAJIV AGARWAL, Jt. Secy. (NE)

India Code

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2004/चैत्र 11, 1926
No. 333] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2004/CHAITRA 11, 1926

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2004

संदर्भ : गृह मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. का.आ. 603(अ)

का.आ. 437(अ).—यत: अरूणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत इस मंत्रालय की ऊपर संदर्भित अधिसूचना के तहत दिनांक 17-9-1991 से इसलिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में, उक्त जिले इस प्रकार की अशांत एवं खतरनाक स्थिति में आ गये थे कि वहां सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक हो गया था, और

2. यत: माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिए गए एक बयान में भारत सरकार ने बताया था कि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत ''अशांत क्षेत्र'' घोषित किए जाने संबंधी सभी विद्यमान अधिसूचनाओं की दिनांक 20-8-1997 से तीन माह की अवधि के भीतर समीक्षा की जाएगी।

3. स्थिति की पिछली बार सितम्बर, 2003 में समीक्षा की गई थी और दिनांक 30 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 1149(अ) के तहत तिरप एवं चांगलांग की ''अशांत क्षेत्र'' के रूप में घोषणा की अवधि को दिनांक 31-3-2004 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। तिरप और चांगलांग जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की पुन: समीक्षा की गई है। अरूणाचल प्रदेश के इन दो जिलों में विद्रोह की स्थिति यथावत् बनी हुई है। विद्रोही संगठन सुरक्षा बलों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाइयों का सहारा लेने के अतिरिक्त बड़े पैमाने पर जबरन धन-वसूली में लगे हुए हैं। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे विद्रोह विरोधी अभियान तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से स्थिति में मामूली सुधार दिखायी दिया है। केन्द्र सरकार यह महसूस करती है कि इन प्रयासों को न केवल जारी रखने की बल्कि इनमें तेजी लाने की भी आवश्यकता है।

4. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, केन्द्र सरकार की यह राय है कि तिरप और चांगलांग जिलों में स्थिति अशांत है और कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं कि वहां सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की उपर्युक्त अधिसूचना 30 सितम्बर, 2004 तक लागू रहेगी बशर्ते कि इसे पहले वापस न लिया जाए।

[फा.सं.13/27/99-एम.जेड.]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव (एन.ई.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2004

Ref. : Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991

S.O. 437(E).—Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification referred to above, as in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary, and

2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of "disturbed areas" under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20-8-1997;

3. The situation was last reviewed in September, 2003 and vide Notification bearing S.O. 1149(E) dated 30th September, 2003, it was decided to extend the tenure of the declaration of Tirap and Changlang as 'disturbed areas' up to 31-3-2004. A further review of the law and order situation in Tirap and Changlang districts has since been undertaken. These two districts of Arunachal Pradesh continue to be in the grip of insurgency. The insurgent outfits have been indulging in large-scale extortion besides resorting to acts of violence directed against the security forces. The sustained counter-insurgency operation by the Security Forces and steps taken by the State Government has shown some signs of improvement. The Central Government feels that these efforts not only need to be sustained but intensified.

4. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exists for the use of armed forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 30th September, 2004 unless withdrawn earlier.

[F.No. 13/27/99-MZ]

RAJIV AGARWAL, Jt. Secy. (NE)

India Code

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 843] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2004/आश्विन 8, 1926
No. 843] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2004/ASVINA 8, 1926

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2004

संदर्भ : गृह मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. का.आ. 603(अ)

का.आ. 1071(अ).—यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत इस मंत्रालय की ऊपर संदर्भित अधिसूचना के तहत दिनांक 17-9-1991 से इसलिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में, उक्त जिले इस प्रकार की अशांत एवं खतरनाक स्थिति में आ गए थे कि वहां सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक हो गया था, और

2. यत: माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिए गए एक बयान में भारत सरकार ने बताया था कि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किए जाने संबंधी सभी विद्यमान अधिसूचनाओं की दिनांक 20-8-1997 से तीन माह की अवधि के भीतर समीक्षा की जाएगी।

3. स्थिति की पिछली बार मार्च, 2004 में समीक्षा की गई थी और दिनांक 31 मार्च, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 437(अ) के तहत तिरप एवं चांगलांग की 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा की अवधि को दिनांक 30-9-2004 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। तिरप और चांगलांग जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की पुन: समीक्षा की गई है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड के दो गुटों, जो अपने आधिपत्य का प्रयास करने के अतिरिक्त विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में भी संलिप्त हैं, के बीच चल रही जमीनी लड़ाई की वजह से अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों में विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। ऐसी सूचना है कि भूटान में यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम के शिविरों को बंद किए जाने के परिणामस्वरूप यह संगठन असम में अपनी पैठ बनाने के लिए इन दो जिलों को अपने ठिकानों के रूप में प्रयोग कर रहा है। रिपोर्टों से अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों में अरुणाचल ड्रैगन फोर्स (ए.डी.एफ.), नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश तथा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (एन.डी.एफ.बी.) काडरों की मौजूदगी तथा उनके द्वारा आंदोलन चलाए जाने की भी पुष्टि हुई है। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे विद्रोह विरोधी अभियान तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से विद्रोह के स्तर में कमी आई है। केन्द्र सरकार यह महसूस करती है कि इन प्रयासों को न केवल जारी रखने की बल्कि इनमें तेजी लाने की भी आवश्यकता है।

4. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, केन्द्र सरकार की यह राय है कि तिरप और चांगलांग जिलों में स्थिति अशांत है और कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं कि वहां सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की उपर्युक्त अधिसूचना 31 मार्च, 2005 तक लागू रहेगी बशर्ते कि इसे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 13/27/99-एम.जेड.]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2004

Ref. : Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991

S.O. 1071(E).—Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 *vide* this Ministry's Notification referred to above, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary, and

2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of "disturbed areas" under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20-8-1997;

3. The situation was last reviewed in March, 2004 and *vide* Notification bearing S.O. 437(E) dated 31st March, 2004, it was decided to extend the tenure of the declaration of Tirap and Changlang as 'disturbed areas' upto 30-9-2004. A further review of the law and order situation in Tirap and Changlang districts has since been undertaken. These two districts of Arunachal Pradesh continue to be in the grip of insurgency, with an ongoing turf war between two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN), who apart from striving for domination, are also indulging in unlawful activities. Consequent to closure of its camps in Bhutan, United Liberation Front of Assam is also reported to be using bases in these two districts to make forays into Assam. Reports also confirm the presence and movement of Arunachal Dragon Force (ADF), National Liberation Front of Arunachal Pradesh and National Democratic Front of Bodoland (NDFB) cadres in Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh. The sustained counter-insurgency operation by the Security Forces and steps taken by the State Government has brought down the level of insurgency. The Central Government feels that these efforts not only need to be sustained but intensified.

4. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 31st March, 2005 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ]

RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

(30)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2005/चैत्र 10, 1927

No. 330] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2005/CHAITRA 10, 1927

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2005

संदर्भ : गृह मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. का.आ. 603(अ)

का.आ. 460(अ).— यतः अरूणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम,1958 के अंतर्गत इस मंत्रालय की ऊपर संदर्भित अधिसूचना के तहत दिनांक 17.9.1991 से इसलिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में, उक्त जिले इस प्रकार की अशांत एवं खतरनाक स्थिति में आ गये थे कि वहां सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक हो गया था, और

2. यतः माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिये गये एक बयान में भारत सरकार ने बताया था कि उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत " अशांत क्षेत्र" घोषित किये जाने संबंधी सभी विद्यमान अधिसूचनाओं की दिनांक 20-8-1997 से तीन माह की अवधि के भीतर समीक्षा की जायेगी ।

3. स्थिति की पिछली बार सितम्बर, 2004 में समीक्षा की गई थी और दिनांक 30 सितम्बर 2004 की अधिसूचना सं.का.आ.1071(अ) के तहत तिरप एवं चांगलांग की " अशांत क्षेत्र" के रूप में घोषणा की अवधि को दिनांक 31.3.2005 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।तिरप और चांगलांग जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुनः समीक्षा की गई है । अरूणाचल प्रदेश के इन दो जिलों में विद्रोह की स्थिति यथावत् बनी हुई है। साथ ही नागालैंड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल

(एन एस सी एन) के दोनों गुटों के बीच अपने वर्चस्व को बनाए रखने के प्रयास के अतिरिक्त आपसी संघर्ष भी चल रहा है और वे विधिविरूद्ध क्रियाकलापों में भी संलिप्त हैं । ऐसी सूचना भी है कि असम का यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट भूटान में अपने शिविरों के बंद होने के परिणामस्वरूप असम में हिंसा फैलाने के लिए इन दोनों जिलों में अड्डों का प्रयोग कर रहा है । अरूणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों में अरूणाचल ड्रेगन फोर्स (ए डी एफ), अरूणाचल प्रदेश के नेशनल लिबरेशन फ्रंट तथा बोडोलैंड के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट (एन डी एफ बी) के काडरों की मौजूदगी तथा हलचल की सूचना की भी अभिपुष्टि हुई है ।विद्रोही संगठन सुरक्षा बलों के विरूद्ध हिसंक कार्रवाइयों का सहारा लेने के अतिरिक्त बड़े पैमाने पर जबरन धन-वसूली में लगे हुए हैं । सुरक्षा बलों द्वारा लगातार चलाए जा रहे विद्रोह विरोधी अभियान तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से विद्रोह के स्तर में कुछ कमी आई है । केन्द्र सरकार यह महसूस करती है कि इन प्रयासों को न केवल जारी रखने की बल्कि इनमें तेजी लाने की भी आवश्यकता है ।

4. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर, केन्द्र सरकार की यह राय है कि तिरप और चांगलांग जिलों में स्थिति अशांत है और कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं कि वहां सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक है । अतः यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की उपर्युक्त अधिसूचना 30 सितम्बर, 2005 तक लागू रहेगी बशर्ते कि इसे पहले वापस न लिया जाए ।

[फा. सं. 13/27/99-एम.जेड]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2005

Ref : Ministry of Home Affairs' Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991.

S.O. 460(E).— Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17.9.1991 vide this Ministry's Notification referred to above, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary, and

2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of "disturbed areas" under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20.8.1997;

3. The situation was last reviewed in September 2004 and vide Notification bearing SO 1071(E) dated 30th September 2004, it was decided to extend the tenure of the declaration of Tirap and Changlang as 'disturbed areas' upto 31.03.2005. A further review of the law & order situation in Tirap & Changlang districts has since been undertaken. These two districts of Arunachal Pradesh continue to be in the grip of insurgency, with an on-going turf war between two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN), who apart from striving for domination, are also indulging in unlawful activities. Consequent to closure of its camps in Bhutan, United Liberation Front of Assam is also reported to be using bases in these two districts to make forays into Assam. Reports also confirm the presence and movement of Arunachal Dragon Force (ADF), National Liberation Front of Arunachal Pradesh and National Democratic Front of Bodoland (NDFB) cadres in Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh. The sustained counter-insurgency operation by the Security Forces and steps taken by the State Government has brought down the level of insurgency. The Central Government feels that these efforts not only need to be sustained but intensified.

4. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 30th September 2005 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ]

RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1051] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2005/आश्विन 8, 1927
No. 1051] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2005/ASVINA 8, 1927

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2005

का.आ. 1431(अ).—यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना संख्या का.आ. 603(अ) के माध्यम से सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 17-9-1991 से अशान्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार का विचार था कि उक्त जिलों की स्थिति इतनी अशान्त और खतरनाक हो गयी थी कि सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना जरूरी हो गया था।

2. यत: माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर अपने अभिकथन में भारत सरकार ने उल्लेख किया है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत ''अशान्त क्षेत्र'' की घोषणा करने के सम्बन्ध में सभी अद्यतन अधिसूचनाओं की 20-8-1997 से तीन माह की अवधि के अन्दर समीक्षा की जाएगी।

3. हालात की पिछली बार मार्च, 2005 में समीक्षा की गयी तथा दिनांक 31 मार्च, 2005 के का.आ. 460(अ) की अधिसूचना के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों को ''अशान्त क्षेत्र'' के रूप में घोषित करने की अवधि को 30 सितम्बर, 2005 तक बढ़ा दिया था। इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुन: समीक्षा की गयी है। अरुणाचल प्रदेश के ये दोनों जिले विद्रोह ग्रस्त हैं। इन दोनों जिलों में नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैण्ड (एनएससीएन) के दोनों धड़ों की तथा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) की हिंसक गतिविधियां जारी हैं। इन दोनों जिलों को विद्रोहियों विशेषकर नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैण्ड (एनएससीएन) के दोनों धड़ों तथा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) द्वारा पड़ोसी देशों से शस्त्र एवं गोलाबारूद लाने ले जाने के लिए पारगमन मार्गों के रूप में भी प्रयोग किया जाता रहा है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के इन दोनों जिलों में सुरक्षा बलों द्वारा विद्रोह विरोधी सतत प्रचालनों और राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में है फिर भी केन्द्रीय सरकार यह महसूस करती है कि इन प्रयासों को न केवल बरकरार रखा जाए बल्कि उन्हें तीव्र कर दिया जाए।

4. उपर्युक्त के आलोक में केन्द्रीय सरकार का विचार है कि तिरप एवं चांगलांग जिलों में हालात अशान्त हैं और वहां अभी भी ऐसी स्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जा सकता है। अत: यह निश्चय किया गया है कि मंत्रालय द्वारा उल्लिखित दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की अधिसूचना को 31 मार्च, 2006 तक, बशर्ते की यह पहले वापस न ले ली जाए, प्रभावी रखा जाए।

[फा. सं. 13/27/99-एम जैड]
एच. एस. ब्रह्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2005

S.O. 1431(E).—Whereas Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 *vide* this Ministry's Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary, and

2. Whereas in a statement filed before the Hon'ble Supreme Court, the Government of India had stated that all current notifications regarding declaration of "disturbed areas" under the aforesaid Act, would be reviewed within a period of three months from 20-8-1997;

3. The situation was last reviewed in March, 2005 and *vide* Notification bearing S.O. 460(E) dated 31st March, 2005, tenure of the declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 30th September, 2005. A further review of the law and order situation in these two districts has since been undertaken. These two districts of Arunachal Pradesh continue to be in the grip of insurgency. The violent activities of two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) and United Liberation Front of Assam (ULFA) in these two districts continue. These districts are also being used as transit route by insurgents especially the two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) and United Liberation Front of Assam (ULFA) for transshipment of arms and ammunitions from neighbouring country. Though the security situation in these two districts of Arunachal Pradesh is under control due to sustained counter-insurgency operations by the Security Forces and steps taken by the State Government, the Central Government feels that these efforts not only need to be sustained but intensified.

4. In the light of the above, the Central Government is of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exist for the use of armed forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 31st March, 2006 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ]

H. S. BRAHMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2006/चैत्र 10, 1928

No. 318] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2006/CHAITRA 10, 1928

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2006

का. आ. 475(अ).—अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना संख्या का.आ. 603(अ) के माध्यम से सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 17-9-1991 से अशान्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विचार से उक्त जिलों की स्थिति इतनी अशान्त और खतरनाक हो गयी थी कि वहां सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना जरूरी हो गया था।

2. भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (आपराधिक) 1982 की सं. 550 में अपने दिनांक 27 नवम्बर, 1997 के निर्णय के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 'अशान्त क्षेत्रों' की घोषणा की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। तदनुसार, अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों की 'अशान्त क्षेत्रों' के रूप में की गई घोषणा की सितम्बर 2005 में समीक्षा की गई तथा अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की 'अशान्त क्षेत्रों' के रूप में की गई घोषणा के कार्यकाल को 31 मार्च, 2006 तक बढ़ाया गया।

3. इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुन: समीक्षा की गयी है। अरुणाचल प्रदेश के इन जिलों में विद्रोह से संबंधित परिदृश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैन्ड (एन एस सी एन) तथा यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रन्ट ऑफ असम (उल्फा) दोनों गुटों द्वारा सुरक्षा बलों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाइयों सहित जबरन धन वसूली तथा हिंसक कार्रवाइयाँ सतत् रूप से की जा रही हैं। एन एस सी एन के गुटों के बीच पारस्परिक दुश्मनी के कारण भी इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गयी है। अत: अरुणाचल प्रदेश के इन दोनों जिलों में विद्रोही गुटों के विरुद्ध प्रभावी विद्रोह-रोधी अभियान चलाया जाना आवश्यक है।

4. अत: केन्द्रीय सरकार का विचार है कि तिरप एवं चांगलांग जिलों में हालात अशान्त हैं और वहां ऐसी स्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अत: यह निर्णय किया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना को 30 सितम्बर, 2006 तक, बशर्ते कि यह पहले वापस न ले ली जाए, प्रभावी रखा जाए।

[फा. सं. 13/27/99-एमजैड]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

996 GI/2006

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2006

S. O. 475(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 *vide* this Ministry's Notification No. S.O. 603(E) dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

2. Supreme Court of India *vide* their judgment dated 27th November, 1997 in Writ Petition (Criminal) No. 550 of 1982 directed, *inter alia*, that declaration of 'disturbed areas' under the aforesaid Act should be reviewed periodically. Accordingly, the declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in September, 2005 and tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended up to 31st March, 2006.

3. A further review of the law and order situation in these two districts has since been undertaken. The insurgency related scenario in these districts of Arunachal Pradesh remains unchanged. The two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) and United Liberation Front of Assam (ULFA) continue to extort and indulge in acts of violence including those directed against the security forces. Intergroup rivalry between the factions of NSCN has also vitiated the law and order situation in these two districts. Therefore, effective counterinsurgency operation against the insurgent outfits in these two districts of Arunachal Pradesh is necessary.

4. The Central Government is, therefore, of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and that conditions exists for the use of the Armed Forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force up to 30th September, 2006 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ]

RAJIV AGARWAL, Jt. Secy.

India Code

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1151] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 30, 2006/आश्विन 8, 1928

No. 1151] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30, 2006/ASVINA 8, 1928

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2006

का.आ. 1641(अ).—अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की उपर्युक्त संदर्भित अधिसूचना के माध्यम से सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 7-9-1991 से अशान्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विचार से उक्त जिलों की स्थिति इतनी अशान्त और खतरनाक हो गयी थी कि वहां सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना जरूरी हो गया था ।

2. भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (आपराधिक) 1982 की सं. 550 में अपने दिनांक 27 नवम्बर, 1997 के निर्णय के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 'अशान्त क्षेत्रों' की घोषणा की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। तदनुसार, अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों की 'अशान्त क्षेत्रों' के रूप में की गई घोषणा की मार्च, 2006 में समीक्षा की गई तथा अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की 'अशान्त क्षेत्रों' के रूप में की गई घोषणा के कार्यकाल को 30 सितम्बर, 2006 तक बढ़ाया गया ।

3. इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुन: समीक्षा की गयी है। अरुणाचल प्रदेश के इन जिलों में विद्रोह से संबंधित परिदृश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जबकि नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैण्ड (इसाक/मुइवाह), नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैण्ड (खापलांग) तथा यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रन्ट ऑफ असम गुटों द्वारा अरूणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों के गाँवों में जबरन धन वसूली तथा हिंसक कार्रवाइयां सतत रूप से की जा रही हैं, नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैण्ड (एन एस सी एन) के दो गुटों के बीच पारस्परिक दुश्मनी के कारण इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति और भी बिगड़ गयी है। ये भूमिगत गुट इन दोनों जिलों के रास्तों का इस्तेमाल अन्य देशों से प्राप्त किए गए शस्त्रों और गोला बारूद को पड़ोसी राज्यों असम एवं नागालैंड में भेजने के लिए भी करते हैं।

4. अत: केन्द्रीय सरकार का विचार है कि तिरप एवं चांगलांग जिलों में हालात अशान्त हैं और वहां ऐसी स्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अत: यह निर्णय किया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना को 31 मार्च, 2007 तक, बशर्ते कि यह पहले वापस न ले ली जाए, प्रभावी रखा जाए।

[फा. सं. 13/27/99-एम जैड]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2006

S.O. 1641(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 *vide* this Ministry's Notification referred to above, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

2. Supreme Court of India *vide* their judgement dated 27th November, 1997 in Writ Petition (Criminal) No. 550 of 1982 directed *interalia* that declaration of 'disturbed areas' under the aforesaid Act should be reviewed periodically. Accordingly, the declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in March, 2006 and tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 30th September, 2006.

3. A further review of the law and order situation in these two districts has since been undertaken. The insurgency related scenario in these districts of Arunachal Pradesh remains unchanged. While National Socialist Council of Nagaland (Issac/Moviah), National Socialist Council of Nagaland (Khaplang), and United Liberation Front of Assam continue to indulge in extortion and acts of violence in the villages of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh, the Inter Group rivalry between the two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) further vitiate the law and order situation in these two districts. These Under Ground outfits also use these two districts as transit route for transshipment of arms and ammunitions procured from other Countries to neighbouring States of Assam and Nagaland.

4. The Central Government is, therefore, of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and the conditions exists for the use of the Armed Forces in aid of civil power. It has therefore, been decided that the Notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 31st March, 2007 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-MZ]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 2007/चैत्र 10, 1929

No. 346] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 2007/CHAITRA 10, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2007

का.आ. 505(अ).—अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की अधिसूचना संख्या 603(अ) के माध्यम से सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 17-09-1991 से अशान्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विचार से उक्त जिलों की स्थिति इतनी अशान्त और खतरनाक हो गई थी कि वहां सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना जरूरी हो गया था ।

2. भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (आपराधिक) 1982 की सं. 550 में अपने दिनांक 27 नवम्बर, 1997 के निर्णय के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशान्त क्षेत्रों' की घोषणा की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए । तदनुसार, अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों की 'अशान्त क्षेत्रों' के रूप में की गई घोषणा की सितम्बर, 2006 में समीक्षा की गई तथा अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की 'अशान्त क्षेत्रों' के रूप में की गई घोषणा के कार्यकाल को 31 मार्च, 2007 तक बढ़ाया गया ।

3. इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुन: समीक्षा की गई है । अरुणाचल प्रदेश के इन जिलों में विद्रोह से संबंधित परिदृश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । जबकि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (इसाक/मुइवाह), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (खापलांग) तथा यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) गुटों द्वारा जबरन धन वसूली तथा सुरक्षा बलों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाइयों में लिप्त रहना जारी रखा गया है । नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (एनएससीएन) के दो गुटों के बीच पारस्परिक दुश्मनी के कारण इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति और भी बिगड़ गई है । यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के काडर चांगलांग जिले के रास्तों का इस्तेमाल भारत से म्यांमार में शस्त्रों और गोला बारूद भेजने के लिए करते हैं ।

4. अत: केन्द्रीय सरकार का विचार है कि तिरप एवं चांगलांग जिलों में हालात अशान्त हैं और वहां ऐसी स्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है । अत: यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना को 30 सितम्बर, 2007 तक; बशर्ते कि यह पहले वापस न ले ली जाए, प्रभावी रखा जाए ।

[फा. सं. 13/27/99-एनई II]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2007

S.O. 505(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 *vide* this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

2. Supreme Court of India *vide* their judgement dated 27th November, 1997 in Writ Petition (Criminal) No. 550 of 1982 directed, inter-alia, that declaration of 'disturbed areas' under the aforesaid act should be reviewed periodically. Accordingly, the declartion of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in September, 2006 and tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 31st March, 2007.

3. A further review of the law and order situation in these two districts has since been undertaken. The insurgency related scenario in these districts of Arunachal Pradesh remains unchanged. National Socialist Council of Nagaland (Issac/ Moviah) and National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) and United Liberation Front of Assam (ULFA) continue to indulge in extortion and acts of violence including those dirtected against Security Forces. Intense intergroup rivalry also exists between the two factions of National Socialist Council of Nagaland vitiating the law and order situation in these two districts. The cadres of United Liberation Front of Assam (ULFA) have been using the Changlang district as corridor for to and fro movement from India to Myanmar.

4. The Central Government is, therefore, of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts is disturbed and the conditions exist for the use of the Armed Forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force upto 30th September, 2007, unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-NE-II]
NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1185] नई दिल्ली, रविवार, सितम्बर 30, 2007/आश्विन 8, 1929
No. 1185] NEW DELHI, SUNDAY, SEPTEMBER 30, 2007/ASVINA 8, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2007

का.आ. 1685(अ).—अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की अधिसूचना संख्या 603 (अ) के माध्यम से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 17-9-1991 से अशान्त क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार की राय में उक्त जिलों की स्थिति इतनी अशान्त और खतरनाक हो गयी थी कि वहां सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना जरूरी हो गया था ।

2. भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (आपराधिक) 1982 की सं. 550 में अपने दिनांक 27 नवम्बर, 1997 के निर्णय के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत 'अशान्त क्षेत्रों' की घोषणा की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। तदनुसार, अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों की 'अशान्त क्षेत्रों' के रूप में की गई घोषणा की मार्च, 2007 में समीक्षा की गई तथा अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की 'अशान्त क्षेत्रों' के रूप में की गई घोषणा के कार्यकाल को 30 सितम्बर, 2007 तक बढ़ाया गया ।

3. इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुन: समीक्षा की गयी है । अरुणाचल प्रदेश के इन जिलों में विद्रोह से संबंधित परिदृश्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैण्ड (इसाक/मुइवाह), नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैण्ड (खापलांग) तथा यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रन्ट आफ असम (उल्फा) गुटों द्वारा अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों में जबरन धन वसूली तथा सुरक्षा बलों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाइयों में लिप्त रहना जारी रखा गया है । ये संगठन इन दो जिलों का प्रयोग पड़ौसी देशों से शस्त्र एवं गोलाबारूद लाने के लिए भी कर रहे हैं । नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल आफ नागालैण्ड (एन एस सी एन) के दो गुटों के बीच पारस्परिक दुश्मनी के कारण इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति और भी बिगड़ गयी है ।

4. अत: केन्द्रीय सरकार का विचार है कि तिरप एवं चांगलांग जिलों में हालात अशान्त हैं और वहां ऐसी स्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है । अत: यह निर्णय लिया गया है कि इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना 31 मार्च, 2008 तक, बशर्ते कि यह पहले वापस न ले ली जाए, प्रभावी रहेगी ।

[फा. सं. 13/27/99-एनई-II]
वी. एन. गौड़, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2007

S.O. 1685(E).—Tirap and Changlang Districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification No. 603 (E) dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

2. Supreme Court of India vide their judgment dated 27th November, 1997 in Writ Petition (Criminal) No. 550 of 1982 directed, inter alia, that declaration of 'disturbed areas' under the aforesaid Act should be reviewed periodically. Accordingly, the declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'distrubed areas' was last reviewed in March, 2007 and tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended up to 30th September, 2007.

3. A further review of the law and order situation in these two districts has since been undertaken. National Socialist Council of Nagaland (Issac/Moviah) and National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) and United Liberation Front of Assam (ULFA) continue to indulge in extortion and acts of violence including those directed against Security Forces in these two districts of Arunachal Pradesh. These outfits have also been using these two districts for transhipment of arms and ammunition from neighbouring countries. Intense inter-group rivalry between the two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) has also vitiated the law and order situation in these two districts.

4. The Central Government is, therefore, of the opinion that the situation in Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh is disturbed and the conditions exist for the use of the Armed Forces in aid of civil power. It has, therefore, been decided that the notification dated 17th September, 1991 of this Ministry mentioned above, will remain in force up to 31st March, 2008, unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-NE-II]

V. N. GAUR, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2008/चैत्र 11, 1930
No. 422] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2008/CHAITRA 11, 1930

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2008

का.आ. 782(अ).—अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की अधिसूचना संख्या 603(अ) के द्वारा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 17-9-1991 से अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विचार से उक्त जिलों की स्थिति इतनी अशान्त और खतरनाक हो गई थी कि वहां सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना जरूरी था ।

2. भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (आपराधिक) 1982 की सं. 550 में अपने दिनांक 27 नवम्बर, 1997 के निर्णय के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निदेश दिया था कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' की घोषणा की आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए । तदनुसार अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों की 'अशांत क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा की सितम्बर, 2007 में समीक्षा की गई तथा अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की 'अशांत क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा के कार्यकाल को 31 मार्च, 2008 तक बढ़ाया गया ।

3. इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुन: समीक्षा की गई है । नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (इसाक/मुइवाह), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (खापलांग) तथा यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) गुटों द्वारा जबरन धन वसूली तथा सुरक्षा बलों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाईयों में लिप्त रहना जारी रखा गया है । पड़ोसी देशों से शस्त्र एवं गोलाबारूद लाने के लिए ये उग्रवादी संगठन इन दोनों जिलों को लगातार ट्रांजिट रूट की तरह प्रयोग कर रहे हैं । नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड के दोनों गुटों के मध्य अत्यधिक पारस्परिक शत्रुता लगातार बनी हुई है और इससे इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है ।

4. केन्द्रीय सरकार का मत है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत तिरप और चांगलांग जिलों को 'अशान्त क्षेत्र' घोषित किए जाने को 1 अप्रैल, 2008 से और छह (06) माह की अवधि के लिए, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न ले लिया जाए, जारी रखना आवश्यक है ।

[फा. सं. 13/27/99-एन.ई.-II]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2008

S.O. 782(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991, *vide* this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

2. Supreme Court of India *vide* their judgement dated 27th November, 1997 in Writ Petition (Criminal) No. 550 of 1982 directed, *inter alia*, that declaration of 'disturbed areas' under the aforesaid Act should be reviewed periodically. Accordingly, the declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in September, 2007 and tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 31st March, 2008.

3. A further review of the law and order situation in these two districts has since been undertaken. The

National Socialist Council of Nagaland (Issac/ Moviah) and National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) and United Liberation Front of Assam (ULFA) continue to indulge in extortion and acts of violence including those directed against Security Forces. These militant outfits continue to use these two districts as transit routes for transshipment of arms and ammunition from neighbouring countries. Intense inter-group rivalry between the two factions of National Socialist Council of Nagaland has also continued and is vitiating the law and order situation in these two districts.

4. The Central Government is of the opinion that continuation of Tirap and Changlang districts as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st April, 2008, unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-NE-II]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1381] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2008/आश्विन 8, 1930

No. 1381] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2008/ASVINA 8, 1930

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2008

का.आ. 2315(अ).—अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की अधिसूचना संख्या 603(अ) के द्वारा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 17-9-1991 से अशान्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विचार से उक्त जिलों की स्थिति इतनी अशान्त और खतरनाक हो गई थी कि वहां सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना जरूरी था ।

2. अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों की 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा की पिछली बार मार्च, 2008 में समीक्षा की गई तथा अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा के कार्यकाल को 30 सितम्बर, 2008 तक बढ़ाया गया ।

3. इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुन: समीक्षा की गई है । इन दोनों जिलों में विद्रोही गतिविधियों में वृद्धि का रुख प्रदर्शित हुआ है । नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक/मुइवाह), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (खापलांग) तथा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) गुटों द्वारा जबरन धन वसूली, भर्ती तथा सुरक्षा बलों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाइयों में लिप्त रहना जारी रखा गया है । अपने शिविरों से पड़ोसी देशों में आने-जाने के लिए ये उग्रवादी संगठन इन दोनों जिलों को लगातार ट्रांजिट रूट की तरह प्रयोग कर रहे हैं । नेशनल सोशलिस्ट कार्टसिल ऑफ नागालैण्ड के दोनों गुटों के मध्य अत्यधिक पारस्परिक शत्रुता भी लगातार बनी हुई है और इससे इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ गई है ।

4. अत:, केन्द्रीय सरकार का मत है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत तिरप और चांगलांग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किए जाने को । अक्तूबर, 2008 से और छह (6) माह की अवधि के लिए, तब तक कि इसे इससे पहले वापस न ले लिया जाए, जारी रखना आवश्यक है ।

[फा. सं.-13/27/99-एन.ई.-II]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2008

S.O. 2315(E).—Triap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as distrubed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 *vide* this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

2. The declaration of Triap and Changland districts of Arunchal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in March, 2008 and the tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 30th September, 2008.

3. A further review of the law and order situation in these two districts has since been undertaken. The activities of insurgents in these two districts have shown

an increasing trend. The National Socialist Council of Nagaland (Issac/Moviah) and National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) and United Liberation Front of Assam (ULFA) continue to indulge in extortion, recruitment, and acts of violence including those directed against Security Forces. These militant outfits continue to use these two districts as transit routes for movement to and from their camps in neighbouring countries. Intense inter-group rivalry between the two factions of National Socialist Council of Nagaland has also continued which has further vitiated the law and order situation in these two districts.

4. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap and Changlang districts as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st October, 2008, unless withdrawn earlier.

[F. No.13/27/99-NE.-II]
NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 552] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2009/चैत्र 10, 1931

No. 552] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2009/CHAITRA 10, 1931

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2009

का.आ. 890(अ).—अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की दिनांक 17.9.1991 की अधिसूचना संख्या 603 (अ) के द्वारा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 17.9.1991 से अशान्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विचार से उक्त जिलों की स्थिति इतनी अशान्त और खतरनाक हो गई थी कि वहां सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना जरूरी था।

2. अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों की 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा की पिछली बार सितम्बर, 2008 में समीक्षा की गई तथा अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा के कार्यकाल को 31 मार्च, 2009 तक बढ़ाया गया।

3. इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुनः समीक्षा की गई है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक/मुइवाह), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग), यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असोम (उल्फा) तथा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड (एन डी एफ बी) इन दो जिलों में हिंसा की घटनाओं में संलिप्त रहना जारी रखे हुए हैं। ये संगठन इन दोनों जिलों में काडरों की भर्ती को भी जारी रखे हुए हैं तथा ग्रामीणों, व्यवसायियों और सरकारी कर्मचारियों से जबरन धन-वसूली में भी लगे हुए हैं। इन दोनों जिलों को भूमिगत संगठनों द्वारा पड़ोसी देशों में स्थित अपने शिविरों में आने-जाने के लिए ट्रांजिट मार्गों के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के इन दोनों गुटों के बीच तीव्र अन्तर-दलीय दुश्मनी भी बनी हुई है जिससे इन दो जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति और खराब हो गई है।

4. अतः, केन्द्रीय सरकार का मत है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किए जाने को 01 अप्रैल, 2009 से और छह (6) माह की अवधि के लिए, तब तक कि इसे इससे पहले वापस न ले लिया जाए, जारी रखना आवश्यक है।

[फा. सं. 13/27/99-एन.ई.-II]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2009

S.O. 890(E).— Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17.9.1991 vide this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17.9.1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

2. The declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in September, 2008 and the tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 31st March, 2009.

3. A further review of the law & order situation in these two districts has since been undertaken. The National Socialist Council of Nagaland (Issac/Moviah), National Socialist Council of Nagaland (Khaplang), United Liberation Front of Asom (ULFA) and National Democratic Front of Boroland (NDFB) continue to be involved in incidents of violence in these two districts. These outfits also continue recruitment of cadres in these two districts and have also been indulging in forcible extortion from villagers, businessmen and Government employees. These two districts are also being used by the underground outfits as transit routes for movement to and from their camps in neighbouring country. Intense inter-group rivalry between the two factions of National Socialist Council of Nagaland has also continued which has further vitiated the law & order situation in these two districts.

4. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 01st April 2009, unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-N.E.-II]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1573] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2009/आश्विन 8, 1931

No. 1573] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2009/ASVINA 8, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2009

का.आ. 2496(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. 603(अ) के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को दिनांक 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार के मतानुसार उक्त जिले ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था।

2. 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों की घोषणा की पिछली बार मार्च, 2009 में समीक्षा की गई थी और 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की घोषणा की अवधि को 30 सितम्बर, 2009 तक बढ़ाया गया।

3. इन दो जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की अब और समीक्षा की गई है। वर्ष 2009 के दौरान (15 अगस्त, 2009 तक) इन दो जिलों में अपहरण, हमले, अन्तर-गुटीय संघर्ष, हत्या आदि से संबंधित हिंसा की 34 घटनाएं हुई हैं। नेशनल सोशिलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक/मुइवाह) और नेशनल सोशिलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) जबरन धन वसूली और हिंसा की कार्रवाइयों में लगे हुए हैं जिसके परिणामस्वरूप इन दोनों जिलों में लोगों के मन में भय व्याप्त है। नेशनल सोशिलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के इन दो गुटों के बीच तेज हुई अन्तर-गुटीय दुश्मनी से इन दोनों जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ गई है। नेशनल सोशिलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम द्वारा इन दोनों जिलों का प्रयोग म्यांमार में अपने शिविरों के लिए ट्रांजिट मार्गों के रूप में भी किया जा रहा है।

4. अतः केन्द्र सरकार का यह मत है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में की घोषणा को 1 अक्तूबर, 2009 से अगले छह (6) माह की अवधि तक, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए, जारी रखा जाना आवश्यक है।

[फा. सं. 13/27/99-एन. ई. II]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2009

S.O. 2496(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 vide this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

2. The declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in March, 2009 and the tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 30th September, 2009.

3. A further review of the law and order situation in these two districts has since been undertaken. During 2009 (Upto 15th August, 2009) there have been 34 incidents of violence relating to abduction, assault, inter-group clash, killing etc. in these two districts. The National Socialist Council of Nagaland (Issac/Moviah) and National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) continue to engage themselves in extortions and acts of violence as a result of which fear psychosis prevails in these two districts. Intense inter-group rivalry between the two factions of National Socialist Council of Nagaland has further vitiated the law and order situation in these two districts. These two districts are also being used by cadres of National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) and United Liberation Front of Asom as transit routes to their camps in Myanmar.

4. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st October, 2009, unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-NE. II]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 600] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2010/चैत्र 10, 1932
No. 600] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2010/CHAITRA 10, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2010

का. आ. 725(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की अधिसूचना सं. 603(अ) के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को दिनांक 17 सितम्बर, 1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था ।

2. 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों की घोषणा की पिछली बार सितम्बर, 2009 में समीक्षा की गई थी और 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की घोषणा की अवधि को 31 मार्च, 2010 तक बढ़ाया गया ।

3. इन दो जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की अब आगे और समीक्षा की गई है । इन दोनों जिलों में विभिन्न भूमिगत संगठन, जबरन धन वसूली, व्यपहरण और अपहरण में निरंतर संलिप्त हैं । उग्रवादी संगठनों के बीच जबर्दस्त दुश्मनी से इन दोनों जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ रही है । यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम (उल्फा) के काडर कथित रूप से इन दोनों जिलों का प्रयोग म्यांमार में अपने शिविरों तक पारगमन हेतु कर रहे हैं । अन्य क्षेत्रों में सक्रिय उग्रवादी संगठनों की समय समय पर होने वाली गतिविधियां अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में भी देखी गई हैं ।

4. अत: केन्द्र सरकार का यह मत है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा को 1 अप्रैल, 2010 से अगले छह (6) माह की अवधि तक, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए, जारी रखा जाना आवश्यक है ।

[फा. सं. 13/27/99-एन.ई. II]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2010

S.O. 725(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17th September, 1991 *vide* this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17th September, 1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

2. The declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in September, 2009 and the tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended up to 31st March, 2010.

3. The law and order situation in these two districts has been reviewed further. Various Underground outfits continue to engage in extortion, kidnapping and abduction in these two districts. The intense rivalry between militant outfits also continues to vitiate the law and order situation in these two districts. Cadres of United Liberation Front of Asom (ULFA) reportedly use these districts for transit to their camps in Myanmar. Occasional movement of militants outfits operating in other areas have also been noticed in Changlang District of Arunachal Pradesh.

4. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st April, 2010, unless withdrawn earlier.

[F. No. 13 27/99-NE.II]
NAVEEN VERMA, Jt. Secy

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2033] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2010/आश्विन 8, 1932

No. 2033] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2010/ASVINA 8, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2010

का.आ. 2393(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. 603(अ) के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को दिनांक 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था ।

2. 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों की घोषणा की पिछली बार मार्च, 2010 में समीक्षा की गई थी और 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की घोषणा की अवधि को 30 सितम्बर, 2010 तक बढ़ाया गया ।

3. इन दो जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की अब आगे और समीक्षा की गई है। यद्यपि इन दो जिलों में विद्रोहियों की हिंसक गतिविधियां स्पष्ट नहीं हैं, नेशनल सोशलिस्ट ऑफ नागालैंड (एन एस सी एन) के दो गुट अन्तर-गुटीय झगड़ों, जबरन धन-वसूली तथा काडरों की भर्ती में निरंतर संलिप्त हैं। भूमिगत संगठनों के काडर इन जिलों का प्रयोग कथित रूप से म्यांमार में अपने शिविरों तक आने/जाने के मार्ग के रूप तथा शस्त्र तथा गोलाबारूद के अवैध व्यापार के लिए भी करते हैं ।

4. अतः केन्द्र सरकार का यह मत है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा को 1 अक्तूबर, 2010 से अगले छह (6) माह की अवधि तक, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए, जारी रखा जाना आवश्यक है।

[फा. सं. 13/27/99-एन.ई. II]

आर.आर. झा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2010

S.O. 2393 (E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 *vide* this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

2. The declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in March, 2010 and the tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended up to 30th September, 2010.

3. The law and order situation in these two districts has been reviewed further. Although the violent activities of insurgents in these two districts are not pronounced the two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) continue to indulge in inter-factional clashes, extortion and recruitment of cadres. Cadres of Under Ground outfits reportedly use these districts as conduit for movement from/to their camps in Myanmar and also for trafficking for arms and ammunitions.

4. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st October 2010, unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-NE.II]

R.R. JHA, Jt. Secy.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 552] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2011/चैत्र 10, 1933

No. 552] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2011/CHAITRA 10, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2011

का.आ. 667(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. 603(अ) के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को दिनांक 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था ।

2. 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों की घोषणा की पिछली बार सितम्बर, 2010 में समीक्षा की गई थी और 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की घोषणा की अवधि को 31 मार्च, 2011 तक बढ़ाया गया ।

3. इन दो जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की अब आगे और समीक्षा की गई है । यद्यपि इन दो जिलों में विद्रोहियों की हिंसक गतिविधियां स्पष्ट नहीं हैं, नेशनल सोशलिस्ट ऑफ नागालैंड (एन एस सी एन) के दो गुट अन्तर-गुटीय झगड़ों, जबरन धन-वसूली तथा काडरों की भर्ती में निरंतर संलिप्त हैं । भूमिगत संगठनों के काडर इन जिलों का प्रयोग कथित रूप से म्यांमार में अपने शिविरों तक आने/जाने के मार्ग के रूप में तथा शस्त्र एवं गोलाबारुद के अवैध व्यापार के लिए भी करते हैं ।

4. अत: केन्द्र सरकार का यह मत है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा को 1 अप्रैल, 2011 से अगले छह (6) माह की अवधि तक, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए, जारी रखा जाना आवश्यक है ।

[फा. सं. 13/27/99-एन.ई. II]

शंभू सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2011

S.O. 667(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991, vide this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

2. The declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in September, 2010 and the tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 31st March, 2011.

3. The law and order situation in these two districts has been reviewed further. Although the violent activities of insurgents in these two districts are not pronounced, the two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) continue to indulge in inter-factional clashes, extortion and recruitment of cadres. Cadres of Under Ground outfits reportedly use these districts as conduit for movement from/to their camps in Myanmar and also for trafficking for arms and ammunitions.

4. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st April, 2011, unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-N.E. II]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

1179 GI/2011

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजि॰ सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1904] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2011/आश्विन 8, 1933

No. 1904] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2011/ASVINA 8, 1933

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2011

का.आ. 2294(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. 603(अ) के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को दिनांक 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था ।

2. 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों की घोषणा की पिछली बार मार्च, 2011 में समीक्षा की गई थी और 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की घोषणा की अवधि को 30 सितम्बर, 2011 तक बढ़ाया गया ।

3. इन दो जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की अब आगे और समीक्षा की गई है । यद्यपि इन दो जिलों में विद्रोहियों की हिंसक गतिविधियां स्पष्ट नहीं हैं, नेशनल सोशलिस्ट ऑफ नागालैंड (एन एस सी एन) के दो गुट अन्तर-गुटीय झगड़ों में संलिप्त बने हुए हैं, और विभिन्न भूमिगत संगठन जबरन धन-वसूली तथा काडरों की भर्ती में भी निरन्तर संलिप्त हैं । इन भूमिगत संगठनों के काडर इन जिलों का प्रयोग कथित रूप से म्यांमार में अपने शिविरों तक आने/जाने के मार्ग के रूप में तथा शस्त्र एवं गोलाबारूद के अवैध व्यापार के लिए भी करते हैं ।

4. अत: केन्द्र सरकार का यह मत है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा को 1 अक्तूबर, 2011 से अगले छह (6) माह की अवधि तक, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए, जारी रखा जाना आवश्यक है ।

[फा. सं. 13/27/99-एन.ई. II]

कमल कान्त मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2011

S.O. 2294(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 *vide* this Ministry's Notification No. 603(E), dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

2. The declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in March, 2011 and the tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 30th September, 2011.

3. The law and order situation in these two districts has been reviewed further. Although the violent activities of insurgents in these two districts are not pronounced, the two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) continue to indulge in inter factional clashes, and various Under Ground outfits continue to engage in extortion and recruitment of cadres also. Cadres of these Under Ground outfits reportedly use these districts as conduit for movement from/to their camps in Myanmar and also for trafficking for arms and ammunitions.

4. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st October, 2011, unless withdrawn earlier.

[F. No.13/27/99-NE. II]

K. K. MITTAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 619] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 2012/चैत्र 11, 1934

No. 619] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 2012/CHAITRA 11, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 31 मार्च, 2012

का.आ. 706(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 17.09.1991 की अधिसूचना सं. 603 (अ) के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चागलाग जिलों को दिनांक 17.09.1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अतर्गत अशात क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था।

2. 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चागलांग जिलों की घोषणा की पिछली बार सितम्बर, 2011 में समीक्षा की गई थी और 'अशांत क्षेत्रो' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की घोषाणा की अवधि को 31 मार्च, 2012 तक बढ़ाया गया।

3. इन दो जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की अब आगे और समीक्षा की गई है। यद्यपि इन दो जिलों में विद्रोहियों की हिंसक गतिविधियां स्पष्ट नही है, नेशनल सोशलिस्ट ऑफ नागालैड (एन एस सी एन) के दो गुट अन्तर-गुटीय झगड़ों में संलिप्त है, और विभिन्न भूमिगत सगठन् जबरन धन-वसूली तथा काडरों की भर्ती में भी निरंतर संलिप्त हैं। दोनों गुट तीरप और चागलांग जिलो में स्थानीय राजनेताओं को भी डराते रहे हैं। इन भूमिगत संगठनों के काडर इने जिलो का प्रयोग कथित रूप से म्यांमार में अपने शिविरों तक आने/जाने के मार्ग के रूप मे तथा शस्त्र एव गोलाबारूद के अवैध व्यापार के लिए भी करते हैं। इन संगठनों के कॉडर चांगलाग जिला के देशज रंगफ्राह धर्म के अनुयायियों के धार्मिक कार्यकलापों में भी हस्तक्षेप करते रहे है।

4. अत: केन्द्र सरकार का यह मत है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा को 1 अप्रैल, 2012 से अगले छह (6) माह की अवधि तक, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए, जारी रखा जाना आवश्यक है।

[फा. सं. 13/27/99-एनई. II]

शंभू सिंह संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2012

S.O. 706 (E).— Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17.9.1991 vide this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17.9.1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

2. The declaration of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in September, 2011 and the tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 31st March, 2012.

3. The law & order situation in these two districts has been reviewed further. Although the violent activities of insurgents in these two districts are not pronounced, the two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) continue to indulge in inter factional clashes, and various Under Ground outfits continue to engage in extortion and recruitment of cadres also. Both the factions also continue to threaten the local politicians in Tirap and Changlang Districts. Cadres of these Under Ground outfits reportedly use these districts as conduit for movement from/to their camps in Myanmar and also for trafficking for arms and ammunitions. These outfit cadres continue to interfere in the religious activities of the indigenous Rangfrah Faith followers of District Changlang also.

4. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 01st April 2012, unless withdrawn earlier.

[F No. 13/27/99-NE. II]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1426] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 2012/श्रावण 9, 1934

No. 1426] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 2012/SHRAVANA 9, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2012

का.आ. 1725(अ).— जबकि गृह मंत्रालय ने दिनांक 31 मार्च, 2012 की सं. का.आ. 706(अ) के द्वारा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिले को दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से अगले छह महीने की अवधि के लिए, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में जारी रखे जाने की घोषणा की थी ।

2. जबकि, अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले से हाल ही में एक नया जिला 'लोंगडिंग' बनाया गया है जिसे राज्य सरकार की दिनांक 9 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना सं. एल ए डब्ल्यू/एल ई जी एन-10/2011 के तहत अधिसूचित किया गया है ।

3. जबकि, नवगठित जिले में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई। तिरप, चांगलांग और नवसृजित 'लोंगडिंग' जिले में विभिन्न एन एस सी एन गुटों की विद्रोही/भूमिगत गतिविधियां जारी हैं। इसलिए, केन्द्रीय सरकार की राय है कि अरुणाचल प्रदेश के 'लोंगडिंग' जिले को भी सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' के रूप में शामिल किया जाए ।

4. अतः केन्द्रीय सरकार दिनांक 31 मार्च, 2012 के सं का.आ. 706(अ) के तहत जारी अधिसूचना के आंशिक आशोधन में, एतदद्वारा अरुणचल प्रदेश के 'लोंगडिंग' जिले को इसे नए जिले के रूप में गठित किए जाने की तारीख से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' के रूप में, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए, शामिल करती है, जिसकी आगे तिरप एवं चांगलांग जिलों की समीक्षा के साथ समीक्षा की जाएगी ।

[फा. सं. 13/27/99/एन ई-II]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2012

S.O. 1725(E).—Whereas, the Ministry of Home vide No. S.O.706 (E) dated 31st March, 2012 declared the continuation of Tirap and Changlang Districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 w.e.f. 1st April, 2012 for a further period of six months, unless withdrawn earlier.

2. Whereas, a new district 'Longding' has been recently carved out from the Tirap District of Arunachal Pradesh notified vide State Government Notification No. LAW/LEGN-10/2011 DATED 09th December, 2011.

3. Whereas, the law and order situation in the newly formed district was reviewed. The insurgency/Under Ground activities of various NSCN factions are continuing in Tirap, Changlang and in the newly created Longding district. The Central Government is, therefore, of the opinion that the 'Longding' district in Arunachal Pradesh also be included as 'Disturbed Area' under Armed Forces (Special Power) Act, 1958.

4. The Central Government, hence, in partial modification of the notification issued vide No. S.O. 706 (E) dated 31st March, 2012, hereby includes the district 'Longding' of Arunachal Pradesh as 'disturbed area' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 with effect from the date of its formation as new district, unless withdrawn earlier, which may be further reviewed, along with review of Tirap and Changlang districts.

[F. No. 13/27/99/NE-II]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

2843 GI/2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1960] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 2012/आश्विन 6, 1934

No. 1960] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 2012/ASVINA 6, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2012

का.आ. 2341(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. 603(अ) के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों को दिनांक 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्र सरकार की राय में उक्त जिले ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में थे कि सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग आवश्यक था ।

2. अरुणाचल प्रदेश के तीरप और चांगलांग जिलों की 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में घोषणा की पिछली बार मार्च, 2012 में समीक्षा की गई थी और 'अशांत क्षेत्रों' के रूप में अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की घोषणा की अवधि को 30 सितम्बर, 2012 तक बढ़ाया गया ।

3. लांगडींग जिले (तीरप जिले में से बने) को भी इस मंत्रालय की दिनांक 30 जुलाई, 2012 की अधिसूचना के तहत अशांत क्षेत्र घोषित कियां गया था ।

4. इन तीन जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति की अब आगे और समीक्षा की गई है । इन तीन जिलों में विद्रोहियों की हिंसक गतिविधियों में कोई परिवर्तन नहीं आया है । नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड (एन एस सी एन) के दो गुट अन्तर-गुटीय झगड़ों में संलिप्त हैं । इसके अलावा, नागा संगठनों के अतिरिक्त, यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रन्ट ऑफ असम (उल्फा) तथा मणिपुर में स्थित कुछ भूमिगत संगठन इन जिलों का प्रयोग म्यांमार में अपने शिविरों तक आने/जाने के मार्ग के रूप में तथा शस्त्र एवं गोलाबारूद के अवैध व्यापार के लिए भी करते हैं । इसके अतिरिक्त, एन एस सी एन के दोनों गुटों के कॉडर अपने आदेशों को मानने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के उद्देश्य से चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं तथा विभिन्न गिरजाघरों के माध्यम से स्थानीय जनता को प्रभावित करते हैं और स्थानीय रंगफ्राह पंथ के अनुयायियों की धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप जारी रखे हुए हैं ।

5. अत: केन्द्र सरकार का यह मत है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तीरप, चांगलांग और लांगडींग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा को 1 अक्तूबर, 2012 से अगले छह (6) माह की अवधि तक, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए, जारी रखा जाना आवश्यक है ।

[फा. सं. 13/27/99-एन ई. II]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2012

S.O. 2341(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 *vide* this Ministry's Notification No. 603(E), dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

2. The declaration of Tirap and Changlang, districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in March, 2012 and the tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended up to 30th September, 2012.

3. The Longding district (carved out of Tirap district) was also declared as 'disturbed area' *vide* this Ministry's notification dated 30th July 2012.

4. The law and order situation in these three districts has been reviewed further. The violent activities of insurgents in these three districts remained unchanged. The two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) continue to indulge in inter-factional clashes. Further, apart from Naga outfits, the United Liberation Front of Assam (ULFA) and some Manipur based Under Ground outfits use these districts as conduit for movement from/to their camps in Myanmar and also for trafficking for arms and ammunitions. Besides, the cadre of both the factions of NSCN also interfere in electoral process with a view to influence the election outcome in favour of candidates amenable to their dictates and try to influence the local population through various churches and continue to interfere in the religious activities of the indigenous Rangfrah Faith followers.

5. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st October, 2012, unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-NE. II]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 732] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2013/चैत्र 7, 1935
No. 732] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2013/CHAITRA 7, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2013

का.आ. 840(अ).—अरूणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिले को इस मंत्रालय के दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. 603(अ), के तहत दिनांक 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार की राय में, उक्त जिले ऐसी अशांत एवं खतरनाक स्थिति में थे कि नागरिक शक्ति की सहायता में सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक था ।

2. लॉंगडिंग जिले (तिरप जिले में से बनाया हुआ) को भी इस मंत्रालय की दिनांक 30 जुलाई, 2012 की अधिसूचना के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया था ।

3. अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लॉंगडिंग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा की आखिरी बार समीक्षा सितम्बर, 2012 में की गई थी तथा अरुणाचल प्रदेश के इन तीन जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा की वैधता को 31 मार्च, 2013 तक बढ़ाया गया था ।

4. इन तीन जिलों में कानून एवं व्यवस्था की आगे समीक्षा की गई है । इन तीनों जिलों में विद्रोहियों की हिंसक गतिविधियां अपरिवर्तित रहीं । राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैंड (एन एस सी एन) के दो गुटों का अन्तर-गुटीय मुठभेड़ों में लिप्त रहना जारी है । इसके अतिरिक्त, एन एस सी एन के दोनों गुटों के काडरों का स्वदेशी रंगफ्राह मत के अनुयायियों के धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप जारी है । एन एस सी एन अल्ट्रा मौद्रिक प्रतिफलों के लिए राजनैतिक नेताओं को डरा-धमकाकर जिलों के राजनैतिक क्रियाकलापों में भी हस्तक्षेप करते हैं । नागा संगठनों के अलावा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) तथा मणिपुर के कतिपय भूमिगत संगठनों ने म्यामार में अपने शिविरों से/में आवाजाही तथा शस्त्रों एवं गोलाबारूदों के दुर्व्यापार के लिए इन जिलों का उपयोग साधन के रूप में करना जारी रखा है ।

5. इसलिए केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लॉंगडिंग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत 1 अप्रैल, 2013 से आगे छः (6) महीने की अवधि के लिए जब तक कि पहल वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' के रूप में बनाए रखना आवश्यक है ।

[फा. सं. 13/27/99-एन ई-II]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2013

S.O. 840(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 *vide* this Ministry's Notification No. 603(E), dated 17-9-1991, as in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of Armed Forces in aid of civil power was necessary.

2. The Longding district (carved out of Tirap district) was also declared as 'disturbed area' *vide* this Ministry's notification dated 30th July, 2012.

3. The declaration of Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in September, 2012 and the validity of declaration of these three districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 31st March, 2013.

4. The law and order situation in these districts has been reviewed further. The violent activities of insurgents in these three districts remained unchanged. The two factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) continue to indulge in inter-factional clashes. Besides, the cadres of both the factions of NSCN continue to interfere in the religious activities of the indigenous Rangfrash faith followers. The NSCN ultras also interfere in the political activities of the Districts by intimidating political leaders for monetary considerations. Apart from Naga outfits, the United Liberation Front of Assam (ULFA) and certain Manipur based Under Ground outfits continue to use these districts as conduit for movement from/to their camps in Myanmar and also for trafficking of arms and ammunitions.

5. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st April, 2013 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-NE-II]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०—33004/99

REGISTERED NO. DL—33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)

PART II — Section 3 — Sub-secton (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 2260] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2013/आश्विन 8, 1935

No. 2260] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2013/ASVINA 8, 1935

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2013

का. आ. 2938(अ).—अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की दिनांक 17-9-1991 की अधिसूचना सं. 603(अ), के तहत दिनांक 17-9-1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां)अधिनियम, 1958 के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था, क्योंकि केन्द्रीय सरकार की राय में, उक्त जिले ऐसी अशांत एवं खतरनाक स्थिति में थे कि नागरिक शक्ति की सहायता में सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक था ।

2. लांगडिंग जिले (तिरप जिले में से बनाया हुआ) को भी इस मंत्रालय की दिनांक 30 जुलाई, 2012 की अधिसूचना के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया था ।

3. अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों की 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा की आखिरी बार समीक्षा मार्च, 2013 में की गई थी तथा अरुणाचल प्रदेश के इन तीन जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किए जाने की वैधता को 30 सितम्बर, 2013 तक बढ़ाया गया था ।

4. इन तीन जिलों में कानून एवं व्यवस्था की आगे समीक्षा की गई है । इन तीनों जिलों में विद्रोहियों की हिंसक गतिविधियां अपवर्तित रहीं । नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन एस सी एन) के गुटों का अन्तर-गुटीय संघर्षों में संलिप्त रहना जारी है । एन एस सी एन अल्ट्रास मौद्रिक प्रतिफलों के लिए राजनैतिक नेताओं को डरा-धमकाकर जिलों के राजनैतिक क्रियाकलापों में भी हस्तक्षेप करते हैं । भूमिगत नागा गुटों के अलावा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) तथा मणिपुर के कतिपय भूमिगत गुटों ने म्यांमार में अपने शिविरों से/में आवाजाही तथा शस्त्रों एवं गोलाबारूद के दुर्व्यापार के लिए भी इन जिलों का प्रयोग साधन के रूप में करना जारी रखा है ।

5. इसलिए केन्द्रीय सरकार की राय है कि अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत 1 अक्टूबर, 2013 से आगे छः (6) महीने की अवधि के लिए जब तक कि इसे पहले वापस न लिया जाए, अशांत क्षेत्र के रूप में जारी रखना आवश्यक है ।

[फा. सं. 13/27/99-एन ई-II]

डॉ. एम.सी. मेहानाथन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2013

S.O. 2938(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 *vide* this Ministy's Notification No. 603(E), dated 17-9-1991, as in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous

condition that the use of Armed Forces in aid of civil power was necessary.

2. The Longding district (carved out of Tirap district) was also declared as 'disturbed area' *vide* the Ministry's notification dated 30th July, 2012.

3. The declaration of Tirap, Changlang and Longding of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in March, 2013 and the validity of declaration of these three districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended up to 30th September, 2013.

4. The law and order situation in these three districts has been reviewed further. The violent activities of insurgents in these three districts remained unchanged. The factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) continue to indulge in inter-factional clashes. The NSCN ultras also interfare in the political activities of the Districts by intimidating political leaders for monetary considerations. Apart from, underground Naga outfits, the United Liberation Front of Assam (ULFA) and certain Manipur based underground outfits continue to use these districts as conduit for movement from/to their camps in Myanmar and also for trafficking of arms and ammunitions.

5. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap, Changlaing and Longding districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st October, 2013 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-NE.II]
Dr. M. C. MEHANATHAN, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 816] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2014/चैत्र 10, 1936
No. 816] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2014/CHAITRA 10, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

का.आ. 982(अ).—अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की दिनांक 17.9.1991 की अधिसूचना सं. 603(अ) के तहत दिनांक 17.9.1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था, क्योंकि केन्द्रीय सरकार की राय में, उक्त जिले ऐसी अशांत एवं खतरनाक स्थिति में थे कि नागरिक शक्ति की सहायता में सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक था।

2. लांगडिंग जिले (तिरप जिले में से बनाया हुआ) को भी इस मंत्रालय की दिनांक 30 जुलाई, 2012 की अधिसूचना के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया था।

3. अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों की 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा की आखिरी बार समीक्षा सितम्बर, 2013 में की गई थी तथा अरुणाचल प्रदेश के इन तीन जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किए जाने की वैधता को 31 मार्च, 2014 तक बढ़ाया गया था।

4. इन तीन जिलों में कानून एवं व्यवस्था की आगे समीक्षा की गई है। इन तीनों जिलों में विद्रोहियों की हिंसक गतिविधियां अपरिवर्तित रहीं। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन एस सी एन) के गुटों का अन्तर-गुटीय संघर्षों में संलिप्त रहना जारी है। एन एस सी एन अल्ट्रास मौद्रिक प्रतिफलों के लिए राजनैतिक नेताओं को डरा-धमकाकर जिलों के राजनैतिक क्रियाकलापों में भी हस्तक्षेप करते हैं। भूमिगत नागा गुटों के अलावा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) तथा मणिपुर के कतिपय भूमिगत गुटों ने म्यांमार में अपने शिविरों से/में आवाजाही तथा शस्त्रों एवं गोलाबारूद के दुर्व्यापार के लिए भी इन जिलों का प्रयोग साधन के रूप में करना जारी रखा है।

5. इसलिए केन्द्रीय सरकार की राय है कि अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत 1 अप्रैल, 2014 से आगे छः (6) महीने की अवधि के लिए, जब तक कि इसे पहले वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' के रूप में जारी रखना आवश्यक है।

[फा. सं. 13/27/99-एन ई-II]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2014

S.O. 982(E).— Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 *vide* this Ministry's Notification No. 603(E), dated 17.9.1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of Armed Forces in aid of civil power was necessary.

2. The Longding district (carved out of Tirap district) was also declared as 'disturbed area' *vide* this Ministry's notification dated 30th July, 2012.

3. The declaration of Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in September, 2013 and the validity of declaration of these three districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended up to 31st March, 2014.

4. The law & order situation in these three districts has been reviewed further. The violent activities of insurgents in these three districts remained unchanged. The factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) continue to indulge in inter-factional clashes. The NSCN ultras also interfere in the political activities of the Districts by intimidating political leaders for monetary considerations. Apart from underground Naga outfits, the United Liberation Front of Assam (ULFA) and certain Manipur based underground outfits continue to use these districts as conduit for movement from/to their camps in Myanmar and also for trafficking of arms and ammunitions.

5. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st April, 2014 unless withdrawn earlier.

[F. No.13/27/99-NE. II]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2022] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2014/आश्विन 8, 1936
No. 2022] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2014/ASVINA 8, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2014

का.आ. 2563(अ).—इस मंत्रालय की दिनांक 17.9.1991 की अधिसूचना सं. 603(अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों को दिनांक 17.9.1991 से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था, क्योंकि केन्द्रीय सरकार की राय में, उक्त जिले ऐसी अशांत एवं खतरनाक स्थिति में थे कि नागरिक शक्ति की सहायतार्थ सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक था।

2. लांगडिंग जिले (तिरप जिले में से बनाया हुआ) को भी इस मंत्रालय की दिनांक 30 जुलाई, 2012 की अधिसूचना के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया था।

3. अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों की 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषणा की आखिरी बार समीक्षा मार्च, 2014 में की गई थी तथा अरुणाचल प्रदेश के इन तीन जिलों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किए जाने की वैधता को 30 सितम्बर, 2014 तक बढ़ाया गया था।

4. इन तीन जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की पुन: समीक्षा की गई है। इन तीनों जिलों में विद्रोहियों की हिंसक गतिविधियों में बदलाव नहीं हुआ। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन एस सी एन) के गुटों का अन्तर-गुटीय संघर्षों में संलिप्त रहना जारी है। एन एस सी एन के गुट मौद्रिक सहायता के लिए राजनैतिक नेताओं को डरा-धमकाकर राजनैतिक क्रियाकलापों में भी हस्तक्षेप करते हैं। भूमिगत नागा गुटों के अलावा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) तथा मणिपुर के कतिपय भूमिगत गुटों ने म्यांमार में अपने शिविरों से/में आवाजाही तथा शस्त्रों एवं गोलाबारूद के दुर्व्यापार के लिए भी इन जिलों का प्रयोग साधन के रूप में करना जारी रखा है।

5. इसलिए, केन्द्रीय सरकार की राय है कि अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत 1 अक्तूबर, 2014 से आगे छः (6) महीने की अवधि के लिए, जब तक कि इसे पहले वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' के रूप में जारी रखना आवश्यक है।

[फा. सं. 13/27/99-एन ई-II]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2014

S.O. 2563(E).—Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17.9.1991 *vide* this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17.9.1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of Armed Forces in aid of civil power was necessary.

2. The Longding district (carved out of Tirap district) was also declared as 'disturbed area' *vide* this Ministry's notification dated 30th July, 2012.

3. The declaration of Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in March, 2014 and the validity of declaration of these three districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 30th September, 2014.

4. The law & order situation in these three districts has been reviewed further. The violent activities of insurgents in these three districts remained unchanged. The factions of National Socialist Council of Nagaland (NSCN) continue to indulge in inter-factional clashes. The factions of NSCN also interfere in the political matters by intimidating leaders for monetary help. Apart from underground Naga outfits, the United Liberation Front of Assam (ULFA) and certain Manipur based underground outfits continue to use these districts as conduit for movement from/to their camps in Myanmar and also for trafficking of arms and ammunitions.

5. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st October, 2014 unless withdrawn earlier.

[F. No. 13/27/99-NE. II]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 648] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2015/चैत्र 6, 1937
No. 648] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2015/CHAITRA 6, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2015

का.आ. 869(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 04.11.2014 की अधिसूचना का.आ. 2818 (अ) के तहत दिनांक 04.11.2014 से 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त, असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य की सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत दिनांक 30.09.2014 की अधिसूचना सं. 2563(अ) के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था।

और यत: असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:

(i) भूमिगत संगठनों द्वारा की जाने वाली हिंसक घटनाओं के कारण असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश राज्य के सभी जिलों में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है;

(ii) असम-अरुणाचल सीमा पर एन डी एफ बी (एस), एन एस सी एन (आई/एम), एन एस सी एन (के), यू एल एफ ए (आई), के एल ओ, एम पी एल एफ मौजूद हैं और के वाई के एल, यू एन एल एफ,

पी एल ए एवं के सी पी व्यक्तियों, सामग्री की आवाजाही, घुसपैठ करने एवं फिर वापस जाने में एन डी एफ बी (एस), यू एल एफ ए (आई) एवं के एल ओ को सहायता प्रदान कर रहे हैं;

(iii) एन डी एफ बी (एस) ने अब टागा, म्यांमार में अपना सामान्य मुख्यालय एवं प्रशिक्षण शिविर स्थापित कर लिया है और सूचना के मुताबिक वह अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले से होकर म्यांमार से हथियार लाने के लिए नए मार्ग का पता लगाने पर विचार कर रहा है;

(iv) अरुणाचल प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र आतंकवादियों को सुविधाजनक स्थिति प्रदान करता है और भूमिगत गुटों द्वारा इसका उपयोग सुरक्षित आश्रय के रूप में किया जाता है;

(v) वामपंथी उग्रवाद इस राज्य में चुपचाप घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है क्योंकि वह अरुणाचल प्रदेश की निचली दिबांग घाटी एवं लोहित जिले की सीमा से सटे धेमाजी एवं तिनसुकिया क्षेत्रों में अत्यधिक सक्रिय पाया गया है।

अब, इसलिए, केवल अरुणाचल प्रदेश के संबंध में, दिनांक 4.11.2014 एंव दिनांक 30.9.2014 की अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, असम राज्य की सीमा से सटे तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिले सहित अरुणाचल प्रदेश राज्य में सभी जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष तक, जब तक कि इससे पहले इसे वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

शंभू सिंह, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2015

S.O. 869.—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 04.11.2014 vide Notification S.O. 2818(E) dated 4.11.2014.

And whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared, besides other areas, the areas falling with 20 km wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

Whereas Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under Armed Forces (Special Powers) Act, 1958, vide Notification No. 2563(E), dated 30.9.2014.

And whereas a further review of the Law and order situation in entire districts in Arunachal Pradesh bordering Assam indicates the following:

i) The Law and order situation in all the districts in the State of Arunachal Pradesh bordering Assam has continued to be a matter of concern due to the violent incident by underground outfits;

ii) There is presence of NDFB(S), NSCN(I/M), NSCN(K), ULFA(I), KLO, MPLF, along with the Assam-Arunachal border and KYKL, UNLF, PLA and KCP are helping NDFB(S), ULFA(I) and KLO for movement of men, material, infiltration and exfiltration;

iii) The NDFB(S) have now set up their General Head quarter and training camp in Taga, Myanmar and are reportedly contemplating to find out a new route for arms transshipment from Myanmar via Changlang district of Arunachal Pradesh;

iv) The geographical terrain of Arunachal Pradesh puts the militants in advantageous position and is used by the underground outfits as their safe heaven;

v) The left wing extremism though silently trying to infiltrate into the State as it is found to be mostly active in areas of Dhemaji and Tinsukia districts bordering with Lower Dibang Valley and Lohit district of Arunachal Pradesh.

Now, therefore, in supersession of notifications dated 4.11.2014 and 30.9.2014, to the extent only in relation to the Arunachal Pradesh, all the districts in the State of Arunachal Pradesh, including Tirap, Changlang and Longding districts in the State, bordering the State of Assam are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto one year from the date of publication of this Notification, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 920] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 2015/वैशाख 15, 1937
No. 920] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 2015 /VAISAKHA 15, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2015

का.आ.1177(अ).-यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के भीतर पड़ने वाले क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 04.11.2014 की अधिसूचना का.आ. 2818 (अ) के तहत 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत दिनांक 30.09.2014 की अधिसूचना सं. 2563 (अ) के तहत अशांत क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया था।

यत: दिनांक 27.03.2015 की अधिसूचना का.आ. 869 के तहत असम राज्य की सीमा से लगे तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों सहित अरुणाचल प्रदेश राज्य के सभी जिलों को अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया।

और यत: अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे असम के सभी जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा करने से यह पता चलता है कि असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के पुलिस थानों के भीतर आने वाले क्षेत्र गंभीर चिंता का कारण बने हुए हैं।

अत: अब, दिनांक 27.3.2015 की अधिसूचना का का.आ. 869 के अधिक्रमण में असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों के निम्नलिखित पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छ: महीने तक, जब तक कि इससे पहले इसे वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है:-

(i) पपूमपारे जिले में बंदरदेवा, देवमुख, बालिजन एवं किमिन पुलिस थाने;

(ii) पश्चिम सियांग जिले में लिकाबली पुलिस थाना;

(iii) पूर्वी सियांग जिले में रुक्सिन, नारी एवं ओयान पुलिस थाने;

(iv) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;

(v) पूर्वी कैमंग जिले में सेइजोसा पुलिस थाना;

(vi) पश्चिमी कैमंग जिले में भलूकपोंग एवं बालेमू पुलिस थाना;

(vii) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थाने, और

(viii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना;

(ix) दुलुंग मुख पुलिस चौकी, लोअर सुबनसिरी जिला।

इसके अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश के सम्पूर्ण तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रकाशन की तारीख से छः माह तक अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। दिनांक 27 मार्च, 2015 से इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख तक की अवधि दिनांक 27.03.2015 के का.आ. 869 के अंतर्गत शामिल रहेगी।

[फा.सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

शंभू सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2015

S.O.1177 (E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam, including the areas falling within 20 km wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam, as 'disturbed area' vide Notification S.O. 2818 (E) dated 4.11.2014.

Whereas Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh were declared as disturbed areas under Armed Forces (Special Powers) Act, 1958, vide Notification No. 2563(E), dated 30.9.2014.

Whereas, vide notification S.O. 869 dated 27.3.2015, all the districts in the State of Arunachal Pradesh, including Tirap, Changlang and Longding districts in the State, bordering the State of Assam were declared as disturbed area.

And whereas a further review of the Law and order situation in entire districts in Assam bordering Arunachal Pradesh reveals that areas lying within the Police Stations in Arunachal Pradesh bordering Assam remain a cause of serious concern.

Now, therefore, in supersession of the notification S.O. 869 dated 27.3.2015, the area falling within the jurisdiction of following police stations in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto six months from the date of publication of this Notification, unless withdrawn earlier:-

i) Banderdewa, Doimukh, Balijan and Kimin police stations in Papumpare district;
ii) Likabali police station in West Siang district;
iii) Ruksin, Nari and Oyan police stations in East Siang district;
iv) Roing police station in Lower Dibang Valley district;
v) Seijosa police station in East Kameng district;
vi) Bhalukpong and Balemu police station in West Kameng district;
vii) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district; and
viii) Sunpura police station in Lohit district.
ix) Dulung Mukh Police Out Post, Lower Subansiri district. ,,

Further, the whole of Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh are declared as 'disturbed area' under Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto six months from the date of publication of this Notification. The period between 27th March 2015 to till date of publication of this notification shall remain covered under S.O.869 dated 27.03.2015.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V]

SHAMBHU SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2405] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2015/कार्तिक 14, 1937
No. 2405] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2015/KARTIKA 14, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2015

का.आ. 3011(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को दिनांक 5.5.2015 की अधिसूचना का.आ. 1177 (अ) के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई जिसमें निम्नलिखित दर्शाया गया है:

(i) एन एस सी एन (के) द्वारा दिनांक 27.03.2015 को एक तरफा युद्ध विराम किए जाने के बाद तिरप, लांगडिंग एवं चांगलांग जिले अशांत रहे;

(ii) एन एस सी एन (के) लांगडिंग जिले के हिस्सों में अपनी पैठ जमाने में सफल रहा है और नवगठित एन एस सी एन (आर) अब तक एन एस सी एन (आई/एम) एवं एन एस सी एन (के) के प्रभुत्व में रहे क्षत्रों में रणनीतिक स्थानों पर अपने काडरों को तैनात करके अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है;

(iii) नागा भूमिगत गुट इन क्षेत्रों में विशेषकर सुरक्षा बलों को लक्षित करके व्यापक स्तर पर जबरन धनवसूली, अपहरण एवं हिंसा में लिप्त हैं;

(iv) नागा भूमिगत गुटों के अलावा, असम स्थित गुट विशेषकर उल्फा (आई) और एन डी एफ बी (एस) असम-अरुणाचल प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचालित कर रहे हैं और इन क्षेत्रों का उपयोग सुरक्षा बलों के विद्रोह-रोधी प्रचालनों से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों के रूप में कर रहे हैं;

(v) हाल में, यू एल एफ ए (आई), एन एस सी एन (के), के एल ओ एवं एन डी एफ एस (एस) को मिलाकर 'यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया' गठित किया गया है तथा इसके घटक

असम-अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों का उपयोग म्यांमार में/से घुसपैठ करने के लिए पारेषण मार्ग के रूप में करते हैं।

(vi) अंतर राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों, जो विरल रूप से बसे हैं और जहां कठिन एवं घने वन एवं पर्वतीय भू-भाग का विशाल क्षेत्र है, में उल्फा (आई), एन डी एफ बी (एस), यू पी एल एफ, जी एन एल ए, के पी एल टी, यू ए एल ए, एन एस सी एन (आई/एम), एन एस सी एन (के), एन एल सी टी एवं और ए ए एन एल ए सहित विभिन्न विद्रोही समूहों रहते हैं।

अत: अब, अरुणाचल प्रदेश के सम्पूर्ण तिरप, चांगलांग एवं लागडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के जिलों के निम्नलिखित पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को दिनांक 4.11.2015 के बाद सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने तक, जब तक कि इससे पहले इसे वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है:—

(i) पपूमपारे जिले में बंदरदेवा, देवमुख, बालिजन एवं किमिन पुलिस थाने;

(ii) पश्चिम सियांग जिले में लिकाबली पुलिस थाना;

(iii) पूर्वी सियांग जिले में रुक्सिन, नारी एवं ओयान पुलिस थाने;

(iv) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;

(v) पूर्वी कैमंग जिले में सेइजोसा पुलिस थाना;

(vi) पश्चिमी कैमंग जिले में भालूकपोंग एवं बालेमू पुलिस थाने;

(vii) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर थाने;

(viii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना;

(ix) दुलुंग मुख पुलिस चौकी, लोअर सुबनसिरी जिला।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

एम.ए. गणपति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFARIS

NOTIFICTION

New Delhi, the 5th November, 2015

S.O. 3011(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, as 'disturbed area' vide Notification S.O. 1177(E) dated 5.5.2015.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, indicate the following:—

(i) After unilateral abrogation of ceasefire on 27.3.2015 by NSCN(K) the security scenario in Tirap, Longding and Changlong districts remains vitiated;

(ii) NSCN(KK) has managed to gain a foothold in parts of Longding district and the newly formed NSCN(R) is aiming to make inroads by positioning its cadres at strategic locations in areas which were hitherto dominated by NSCN(I/M) and NSCN(K);

IndiaCode

(iii) Naga UG factions continue to indulge in rampant extortion, abductions and violence and particularly targeting Security Forces in these areas;

(iv) Besides the Naga UG factions, Assam based outfits, particularly ULFA(I) and NDFB(S), have been operating in areas along Assam-Arunachal boundary and using it as safe havens for escaping counter insurgency operations by the Security Forces;

(v) Recently, 'United National Liberation Front of Western South East Asia' (UNLFW), comprising ULFA(I), NSCN(K), KLO and NDFS(S), has been formed and its constituents use the areas along Assam-Arunachal boundary as a transit route for infiltrating to/from Myanmar.

Now, therefore, the whole of Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following police stations/outpost in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto six months beyond 4.11.2015, unless withdrawn earlier:-

(i) Banderdewa, Doimukh, Balijan and Kimin police stations in Papumpare dictrict;

(ii) Likabali police station in West Siang district;

(iii) Ruksin, Nari and Oyan police stations in East Siang district;

(iv) Roing police station in Lower Dibang Valley district;

(v) Seijosa police station in East Kameng district;

(vi) Bhalukpong and Balemu police station in West Kameng district;

(vii) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;

(viii) Sunpura police station in Lohit district; and

(ix) Dulung Mukh Police Out Post, Lower Subansiri district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1087] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 5, 2016/वैशाख 15, 1938
No. 1087] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2016/ VAISAKHA 15, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2016

का.आ. 1646(अ).-यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 5.11.2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 3011 (अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग तथा लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग तथा लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य से लगने वाले अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा से यह पता चलता है कि :-

i) अभी तक जारी नागा विद्रोह की वजह से तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों में सुरक्षा परिदृश्य खराब बना हुआ है;

ii) एन एस सी एन/के, एन एस सी एन/आई एम, एन एस सी एन/आर तथा एन एस सी एन/एन के नामक नागा भूमिगत गुट जबरन धन वसूली, क्षेत्र आधिपत्य, अन्तर गुटीय शत्रुता जैसी गतिविधियों में संलिप्त हैं;

iii) दिनांक 27.03.2015 को भारत सरकार के साथ किए गए युद्ध विराम समझौते के एकतरफा निरसन के उपरांत एन एस सी एन (के) ने भारत म्यांमार सीमा पर रणनीतिक तरीके से अपने शिविरों को स्थानान्तरित कर लिया है तथा यह उल्फा/आई के साथ मिलकर संयुक्त रूप से सुरक्षा बलों को लक्ष्य बना रहा है;

iv) एन एस सी एन/आई एम, एन एस सी एन/आर तथा एन एस सी एन/एन के शत्रु गुटों से अलग होने तथा अपने आधिपत्य क्षेत्र को विस्तारित करने के प्रयासों के अलावा स्थानीय युवाओं की भर्ती, लोगों को डराने तथा जबरन धन वसूली के प्रयासों में लगा हुआ है;

v) उल्फा/आई, जो म्यांमार से काडरों की आवाजाही तथा हथियारों के पारगमन के लिए इस राज्य को अब तक पारगमन कोरिडोर के रूप में प्रयुक्त करता रहा है, वह अरुणाचल-असम सीमा पर कतिपय पॉकेटों में जबरन धन वसूली में लगा हुआ है। रिपोर्टों से इन क्षेत्रों में एन डी एफ बी/एस काडरों की आवाजाही तथा म्यांमार में/से घुसपैठ का पता चलता है;

vi) उपर्युक्त तीन जिलों में दिनांक 15.10.2015 से 31.03.2016 के दौरान भूमिगत संगठनों द्वारा हिंसा की 24 घटनाओं को अंजाम दिया गया जिनमें 3 व्यक्ति मारे गए तथा 24 भूमिगत काडर (एन एस सी एन/आर-11, एन एस सी एन/के-5,

एन एस सी एन/आई एम-4, एन एस सी एन/एन के-3, ए पी डी पी एफ-1) विद्रोह-रोधी अभियानों के दौरान गिरफ्तार किए गए।

अत: अब, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के जिलों के निम्नलिखित पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 04.05.2016 के बाद छ: महीने तक, जब तक कि इससे पहले इसे वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है:-

(i) पपूमपारे जिले में बंदरदेवा, देवमुख, बालिजन एवं किमिन पुलिस थाने;
(ii) पश्चिम सियांग जिले में लिकाबली पुलिस थाना;
(iii) पूर्वी सियांग जिले में रुक्सिन, नारी एवं ओयान पुलिस थाने;
(iv) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;
(v) पूर्वी कैमंग जिले में सेइजोसा पुलिस थाना;
(vi) पश्चिमी कैमंग जिले में भलूकपोंग एवं बालेमू पुलिस थाने;
(vii) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थाने,
(viii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना; और
(ix) दुलुंग मुख पुलिस चौकी, लोअर सुबनसिरी जिला।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFARIS

NOTIFICTION

New Delhi, the 4th May, 2016

S.O. 1646(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O. 3011(E) dated 5.11.2015.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam indicate that:-

i) security scenario in Tirap, Changlang and Longding districts remains vitiated by the spillover of Naga insurgency;
ii) Naga UG factions namely NSCN/K, NSCN/IM, NSCN/R & NSCN/NK continue to indulge in extortion, area domination, inter-factional rivalry;
iii) NSCN (K) has tactically shifted its camps across Indo-Myanmar border after unilateral abrogation of ceasefire agreement with Govt. of India on 27.3.2015, is persisting with its attempts to target Security Forces jointly with ULFA/I;
iv) NSCN/IM, NSCN/R and NSCN/NK are engaged in intimidation and extortion, recruiting local youth, besides engineering defection from rival factions and attempting to expand their area of dominance;
v) ULFA/I, which has hitherto been using the State as a transit corridor for movement of cadres and transhipment of arms from Myanmar, is indulging in extortion in certain pockets along Arunachal- Assam boundary. Reports also indicate movement of NDFB/S cadres in these areas and for infiltrating to/from Myanmar.
vi) In above three districts, 24 incidents of violence have been perpetrated by the UG outfits from 15.10.2015 to 31.3.2016 in which 03 persons have been killed and 24 UG cadres (NSCN/R-11, NSCN/K-5, NSCN/IM-4, NSCN/NK-3, APDPF-1) have been arrested in Counter Insurgency Operations.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following police stations in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for six months beyond 4.05.2016, unless withdrawn earlier: -

i) Banderdewa, Doimukh, Balijan and Kimin police stations in Papumpare district;
ii) Likabali police station in West Siang district;
iii) Ruksin, Nari and Oyan police stations in East Siang district;
iv) Roing police station in Lower Dibang Valley district;

v) Seijosa police station in East Kameng district;
vi) Bhalukpong and Balemu police station in West Kameng district;
vii) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;
viii) Sunpura police station in Lohit district; and
ix) Dulung Mukh Police Out Post, Lower Subansiri district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V]

SATYENDRA GRAG, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2629] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2016/कार्तिक 13, 1938
No. 2629] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2016/KARTIKA 13, 1938

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2016

का.आ. 3383(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 04.05.2016 की अधिसूचना का.आ. 1646 (अ) के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों/पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों/पुलिस चौकी के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा से यह पता चलता है कि :-

(i) अभी तक जारी नागा विद्रोह की वजह से तिरप,चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों में सुरक्षा की स्थिति खराब बनी हुई है;

(ii) एनएससीएन/के, एनएससीएन/आईएम, एनएससीएन/आर तथा एनएससीएन/एनके नामक नागा भूमिगत गुट जबरन धनवसूली, क्षेत्र आधिपत्य, अन्तर गुटीय शत्रुता जैसी गतिविधियों में संलिप्त हैं;

(iii) एनएससीएन (के) उल्फा (आई) के साथ सक्रिय रूप से मिलकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है·

(iv) एनएससीएन (आई एम) अब तक एनएससीएन (के) द्वारा अधिकृत क्षेत्रों पर आधिपत्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है तथा डराने/धमकाने और जबरन धन वसूली करने का कार्य कर रहा है;

(v) एनएससीएन (आर) तिरप, लांगडिंग तथा चांगलांग जिलों में भी सक्रिय हैं तथा अपने सशस्त्र काडरों के साथ स्थानीय युवकों को भर्ती करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है;

(vi) एनएससीएन (एन के) लांगडिंग जिले में अपना प्रभाव जमाने में सफल रहा है तथा वह जबरन धनवसूली एवं अपहरण में लगा हुआ है;

(vii) उल्फा (आई) ने अरुणाचल-असम सीमा पर कतिपय पॉकेटों में जबरन धन वसूली में संलिप्त होना शुरू कर दिया है। इन क्षेत्रों में विद्रोह-रोधी प्रचालनों से बचने तथा म्यांमार में/से घुसपैठ करने के लिए एनडीएफबी (एस) तथा एनडीएफबी (आर) काडरों की आवाजाही की भी सूचना है।

अत: अब, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के जिलों के निम्नलिखित पुलिस थानों/पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 4.11.2016 से छह महीने के लिए, जब तक कि इससे पहले इसे वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है:-

(i) पपूमपारे जिले में बंदरदेवा, देवमुख, बालिजन एवं किमिन पुलिस थाने;

(ii) पश्चिम सियांग जिले में लिकाबली पुलिस थाना;

(iii) पूर्वी सियांग जिले में रुक्सिन, नारी एवं ओयान पुलिस थाने;

(iv) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;

(v) पूर्वी कैमंग जिले में सेइजोसा पुलिस थाना;

(vi) पश्चिमी कैमंग जिले में भालूकपोंग एवं बालेमू पुलिस थाने;

(vii) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर थाने;

(viii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना;

(ix) दुलुंग मुख पुलिस चौकी, लोअर सुबनसिरी जिला।

[फा.सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2016

S.O. 3383 (E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958(28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations/police out post in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O. 1646(E) dated 4.5.2016.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations/police out post in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam indicate that: -

i) security scenario in Tirap, Changlang and Longding districts remains vitiated by the spillover of Naga insurgency;
ii) Naga UG factions namely NSCN/K, NSCN/IM, NSCN/R & NSCN/NK continue to indulge in extortion, area domination, recruitment of locals, inter-factional rivalry;
iii) NSCN(K), in active participation with ULFA(I), is persisting with its attempts to target Security Forces;
iv) NSCN (IM) is contriving to dominate areas hitherto occupied by NSCN(K) and is resorting to intimidation and extortion;
v) NSCN(R) is also active in Tirap, Longding and Changlang districts and with its armed cadres has been focusing on recruiting local youth;
vi) NSCN(NK) has managed to gain a foothold in Longding district and is engaging in extortion and abduction;
vii) ULFA(I) has started indulging in extortion in certain pockets along Arunachal-Assam boundary. Movement of NDFB(S) and NDFB (R) cadres has also been reported in these areas for escaping Counter Insurgency operations and for infiltrating to/from Myanmar.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following police stations/police out post in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for six months w.e.f. 4.11.2016, unless withdrawn earlier: -

i) Banderdewa, Doimukh, Balijan and Kimin police stations in Papumpare district;
ii) Likabali police station in West Siang district;
iii) Ruksin, Nari and Oyan police stations in East Siang district;
iv) Roing police station in Lower Dibang Valley district;
v) Seijosa police station in East Kameng district;
vi) Bhalukpong and Balemu police station in West Kameng district;
vii) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;
viii) Sunpura police station in Lohit district; and
ix) Dulung Mukh Police Out Post, Lower Subansiri district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR Date: 2016.11.04 16:03:03 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1239] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 4, 2017/वैशाख 14, 1939
No. 1239] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 4, 2017/VAISAKHA 14, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2017

का.आ. 1402(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 04.11.2016 की अधिसूचना का.आ. 3383(अ) के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों/पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों/पुलिस चौकी के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा से यह पता चलता है कि :—

(i) अभी तक जारी नागा विद्रोह की वजह से तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों में सुरक्षा की स्थिति खराब बनी हुई है;

(ii) एनएससीएन/के, एनएससीएन/आईएम, एनएससीएन/आर तथा एनएससीएन/एनके नामक नागा भूमिगत गुट जबरन धनवसूली, क्षेत्र आधिपत्य, अन्तर गुटीय शत्रुता जैसी गतिविधियों में संलिप्त हैं;

(iii) एनएससीएन (के) उल्फा (आई) के साथ सक्रिय रूप से मिलकर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है तथा इसने हाल ही में इस प्रकार के हमले किए हैं·

(iv) एनएससीएन (आई एम) अब तक एनएससीएन (के) द्वारा अधिकृत क्षेत्रों पर आधिपत्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है तथा डराने/धमकाने और जबरन धन वसूली करने का कार्य कर रहा है;

(v) एनएससीएन (आर) अरुणाचल प्रदेश में तिरप, लांगडिंग तथा चांगलांग जिलों में भी सक्रिय हैं तथा स्थानीय युवकों को भर्ती करने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है;

(vi) एनएससीएन (एन के) लांगडिंग जिले में अपना प्रभाव जमाने में सफल रहा है तथा वह जबरन धनवसूली एवं अपहरण में लगा हुआ है;

(vii) उल्फा (आई), जो अब तक राज्य को कॉडरों के आवागमन तथा म्यांमार से शस्त्रों की खेप लाने के लिए ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में प्रयोग करता रहा है, ने अरुणाचल-असम सीमा पर कुछ पॉकेटों में जबरन धन वसूली शुरू कर दी है;

(viii) विद्रोह-रोधी अभियानों से बचने तथा म्यांमार से आने-जाने के लिए अरुणाचल-असम सीमा पर एनडीएफबी (एस) तथा एन डी एफ बी (आर) कॉडरों का आवागमन देखा गया है;

(ix) भूमिगत संगठनों द्वारा 06.09.2016 से 20.02.2017 तक की अवधि के दौरान, तीरप, चांगलांग और लांगडिंग जिलों में हिंसा की 25 घटनाओं को अंजाम दिया गया है जिनमें 6 व्यक्तियों (एनएससीएन (के)-1, एनएससीएन (एन के)-1, उल्फा (आई)-2 तथा सुरक्षा बलों-2 की मौत हो गई तथा 28 भूमिगत कॉडरों (एनएससीएन (आर)-9, एनएससीएन (के)-6, एनएससीएन (आई/एम)-5 और उल्फा-8 को गिरफ्तार किया गया है।

अत: अब, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लागडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के जिलों के निम्नलिखित पुलिस थानों/पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 04.05.2017 से तीन महीने के लिए, जब तक कि इससे पहले इसे वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है:-

(i) पपूमपारे जिले में बंदरदेवा, देवमुख, बालिजन एवं किमिन पुलिस थाने;

(ii) पश्चिम सियांग जिले में लिकाबली पुलिस थाना;

(iii) पूर्वी सियांग जिले में रुक्सिन, नारी एवं ओयान पुलिस थाने;

(iv) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;

(v) पूर्वी कैमंग जिले में सेइजोसा पुलिस थाना;

(vi) पश्चिमी कैमंग जिले में भालूकपोंग एवं बालेमू पुलिस थाने;

(vii) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर थाने;

(viii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना;

(ix) दुलुंग मुख पुलिस चौकी, लोअर सुबनसिरी जिला।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 2017

S.O. 1402(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations/police out post in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O. 3383(E) dated 4.11.2016.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations/police out post in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam indicate that:—

(i) security scenario in Tirap, Changlang and Longding districts remains vitiated by the spillover of Naga insurgency;

(ii) Naga UG factions namely NSCN(K), NSCN(I/M), NSCN(R) & NSCN(NK) continue to indulge in extortion, area domination, recruitment of locals, inter-factional rivalry;

(iii) NSCN(K) is persisting its attempts to target security forces jointly with ULFA(I) and has carried out such attacks during recent past;

IndiaCode

(iv) NSCN (IM) is contriving to dominate areas hitherto occupied by NSCN(K) and is resorting to intimidation and extortion;

(v) NSCN(R) is also active in Tirap, Longding and Changlang districts in Arunachal Pradesh and has been focusing on recruiting local youth;

(vi) NSCN(NK) has managed to gain a foothold in Longding district and is engaging in extortion and abduction;

(vii) ULFA(I), which has hitherto been using the State as a transit corridor for movement of cadres and transhipment of arms from Myanmar, has started indulging in extortion in certain pockets along Arunachal-Assam boundary;

(viii) Movements of NDFB(S) and NDFB(R) cadres along Arunachal-Assam boundary have been noticed for escaping Counter Insurgency operations and for movement to/from Myanmar; and

(ix) During the period from 6.09.2016 to 20.2.2017 in Tirap, Changlang and Longding districts 25 incidents of violence have been perpetrated by the UG outfits in which 6 persons (NSCN(K) -1, NSCN(NK)-1,ULFA(I)-2 and Security Forces -2 have been killed and 28 UG cadres (NSCN(R) - 9, NSCN(K)-6, NSCN(I/M)-5 and ULFA-8 have been arrested.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following police stations/police out post in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for three months w.e.f. 4.05.2017, unless withdrawn earlier: -

(i) Banderdewa, Doimukh, Balijan and Kimin police stations in Papumpare district;

(ii) Likabali police station in West Siang district;

(iii) Ruksin, Nari and Oyan police stations in East Siang district;

(iv) Roing police station in Lower Dibang Valley district;

(v) Seijosa police station in East Kameng district;

(vi) Bhalukpong and Balemu police station in West Kameng district;

(vii) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;

(viii) Sunpura police station in Lohit district; and

(ix) Dulung Mukh Police Out Post, Lower Subansiri district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.05.05 15:15:40 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2169] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 4, 2017/श्रावण 13, 1939
No. 2169] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 4, 2017/SRAVANA 13, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2017

का.आ. 2469(अ).— यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 04.05.2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 1402 (अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग तथा लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग तथा लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगने वाले अरुणाचल प्रदेश के जिलों में सोलह पुलिस थानों/पुलिस चौकी के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

अत: अब, अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के जिलों के निम्नलिखित पुलिस थानों/पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 04.08.2017 के बाद 30.09.2017 तक, जब तक कि इससे पहले इसे वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाता है:-

(i) पपूमपारे जिले में बंदरदेवा, बालिजन एवं किमिन पुलिस थाने;

(ii) पश्चिम सियांग जिले में लिकाबली पुलिस थाना;

(iii) पूर्वी सियांग जिले में रुक्सिन और नारी पुलिस थाने;

(iv) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;

(v) पूर्वी कैमंग जिले में सेइजोसा पुलिस थाना;

(vi) पश्चिमी कैमंग जिले में भलूकपोंग एवं बालेमू पुलिस थाने;

(vii) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थाने,

(viii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना; और

(ix) दुलुंग मुख पुलिस चौकी, लोअर सुबनसिरी जिला।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2017

S.O. 2469 (E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958(28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations/police out post in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O. 1402(E) dated 4.05.2017.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of sixteen police stations/police out post in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following police stations/police out post in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 up to 30.09.2017w.e.f. 4.08.2017, unless withdrawn earlier: -

(i) Banderdewa, Balijan and Kimin police stations in Papumpare district;
(ii) Likabali police station in West Siang district;
(iii) Ruksin andNari police stations in East Siang district;
(iv) Roing police station in Lower Dibang Valley district;
(v) Seijosa police station in East Kameng district;
(vi) Bhalukpong and Balemu police station in West Kameng district;
(vii) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;
(viii) Sunpura police station in Lohit district; and
(ix) DulungMukh Police Out Post in Lower Subansiri district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.08.05 12:59:47 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2807] नई दिल्ली, रविवार, अक्तूबर 1, 2017/आश्विन 9, 1939
No. 2807] NEW DELHI, SUNDAY, OCTOBER 1, 2017/ASVINA 9, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2017

का.आ. 3208(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 04.08.2017 की अधिसूचना का.आ. 2469(अ) के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में चौदह पुलिस थानों/पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में चौदह पुलिस थानों/पुलिस चौकी के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में निम्नलिखित पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2017 से दिनांक 31.03.2018 तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए :—

(i) पपूमपारे जिले में बालिजन एवं किमिन पुलिस थाने;

(ii) पश्चिम सियांग जिले में लिकाबली पुलिस थाना;

(iii) पूर्वी सियांग जिले में रुक्सिन पुलिस थाना;

(iv) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;

(v) पूर्वी कैमंग जिले में सेइजोसा पुलिस थाना;

(vi) पश्चिमी कैमंग जिले में भालूकपोंग एवं बालेमू पुलिस थाने;

(vii) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर थाने; और

(viii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2017

S.O. 3208(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of fourteen police stations/police out post in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assamas 'disturbed area' vide Notification S.O. 2469(E), dated 4.08.2017.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of fourteen police stations/police out post in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following police stations in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 up to 31.03.2018 w.e.f. 01.10.2017, unless withdrawn earlier:—

(i) Balijan and Kimin police stations in Papumpare district;

(ii) Likabali police station in West Siang district;

(iii) Ruksin police station in East Siang district;

(iv) Roing police station in Lower Dibang Valley district;

(v) Seijosa police station in East Kameng district;

(vi) Bhalukpong and Balemu police station in West Kameng district;

(vii) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district; and

(viii) Sunpura police station in Lohit district.

IndiaCode

[F. No. 11011/104/2015-NE-V]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.10.01 16:17:50 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1293] नई दिल्ली, रविवार, अप्रैल 1, 2018/चैत्र 11, 1940
No. 1293] NEW DELHI, SUNDAY, APRIL 1, 2018/CHAITRA 11, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2018

का. आ. 1431(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.10.2017 की अधिसूचना का.आ. 3208 (अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में ग्यारह पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में ग्यारह पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में निम्नलिखित आठ पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2018 से दिनांक 30.09.2018 तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जए :-

(i) पश्चिमी कैमंग जिले में बालेमू एवं भालूकपोंग पुलिस थाने;
(ii) पूर्वी कैमंग जिले में सेइजोसा पुलिस थाना;
(iii) पपूमपारे जिले में बालिजन पुलिस थाना;
(iv) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थाने;
(v) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;
(vi) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना;

[फा. सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2018

S.O. 1431(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958(28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of eleven police stations in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O. 3208(E) dated 1.10.2017.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of eleven police stations in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following eight police stations in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 up to 30.09.2018 w.e.f. 01.04.2018, unless withdrawn earlier :—

i) Balemu and Bhalukpong police stations in West Kameng district;

ii) Seijosa police station in East Kameng district;

iii) Balijan police station in Papumpare district;

iv) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;

v) Roing police station in Lower Dibang Valley district;

vi) Sunpura police station in Lohit district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.04.02 10:56:21 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3841] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 2018/ आश्विन 9, 1940
No. 3841] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 2018/ASVINA 9, 1940

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2018

का.आ. 5020(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.04.2018 की अधिसूचना का.आ. 1431(अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में आठ पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में आठ पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में निम्नलिखित आठ पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए :-

(i) पश्चिमी कैमंग जिले में बालेमू एवं भालूकपोंग पुलिस थाने;
(ii) पूर्वी कैमंग जिले में सेइजोसा पुलिस थाना;
(iii) पपूमपारे जिले में बालिजन पुलिस थाना;
(iv) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थाने;
(v) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;
(vi) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना।

[फा. सं. 11011/104/2015-**एन ई**-V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2018

S.O. 5020(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of eight police stations in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O. 1431(E) dated 1.04.2018.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of eight police stations in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following eight police stations in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 up to 31.03.2019 w.e.f. 01.10.2018, unless withdrawn earlier: -

i) Balemu and Bhalukpong police stations in West Kameng district;

ii) Seijosa police station in East Kameng district;

iii) Balijan police station in Papumpare district;

iv) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;

v) Roing police station in Lower Dibang Valley district;

vi) Sunpura police station in Lohit district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V]
SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.10.01 22:53:44 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1322] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 1, 2019/चैत्र 11, 1941
No. 1322] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 1, 2019/CHAITRA 11, 1941

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2019

का.आ. 1494(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.10.2018 की अधिसूचना का.आ. 5020(अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में आठ पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में आठ पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में निम्नलिखित चार पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 30.09.2019 तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए :-

(i) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थाने;

(ii) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;

(iii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना।

[फा.सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2019

S.O. 1494(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of eight police stations in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O. 5020(E) dated 1.10.2018.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of eight police stations in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following four police stations in the districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 up to 30.09.2019 w.e.f. 01.04.2019, unless withdrawn earlier: -

(i) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;

(ii) Roing police station in Lower Dibang Valley district;

(iii) Sunpura police station in Lohit district.

IndiaCode

[F. No. 11011/104/2015-NE-V]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.04.01 21:05:30 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3243] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 1, 2019/आश्विन 9, 1941
No. 3243] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 2019/ ASVINA 9, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3559(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.04.2019 की अधिसूचना का.आ. 1494 (अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में चार पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में चार पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के अन्य जिलों में निम्नलिखित चार पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2019 से दिनांक 31.03.2020 तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए :-

(i) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थाने;

(ii) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;

(iii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना;

[फा.सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2019

S.O. 3559(E).— Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of four police stations in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O.1494(E) dated 01.04.2019.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of four police stations in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following four police stations in other districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 up to 31.03.2020 w.e.f. 01.10.2019, unless withdrawn earlier: -

(i) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;

(ii) Roing police station in Lower Dibang Valley district;

(iii) Sunpura police station in Lohit district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.10.01 16:17:41 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042020-218988
CG-DL-E-01042020-218988

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1099] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2020/चैत्र 12, 1942
No. 1099] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2020/CHAITRA 12, 1942

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,1 अप्रैल, 2020

का.आ.1235(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.10.2019 की अधिसूचना का.आ. 3559 (अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में चार पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में चार पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के अन्य जिलों में निम्नलिखित चार पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए :-

(i) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थाने;

(ii) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;

(iii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना;

[फा.सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2020

S.O. 1235(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of four police stations in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O. 3559(E) dated 01.10.2019.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of four police stations in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following four police stations in other districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 up to 30.09.2020 w.e.f. 01.04.2020, unless withdrawn earlier: -

(i) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;

(ii) Roing police station in Lower Dibang Valley district;

(iii) Sunpura police station in Lohit district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.04.01 15:52:28 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102020-222187
CG-DL-E-01102020-222187

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3070] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 2020/आश्विन 9, 1942
No. 3070] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2020/ASVINA 9, 1942

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3449(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.04.2020 की अधिसूचना का.आ. 1235(अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में चार पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में चार पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के अन्य जिलों में निम्नलिखित चार पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए :-

(i) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थाने;

(ii) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;

(iii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना;

[फा. सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2020

S.O. 3449(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of four police stations in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' *vide* Notification S.O. 1235(E) dated 01.04.2020.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of four police stations in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following four police stations in other districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 up to 31.03.2021 w.e.f. 01.10.2020, unless withdrawn earlier: -

(i) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;

(ii) Roing police station in Lower Dibang Valley district;

(iii) Sunpura police station in Lohit district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226315
CG-DL-E-01042021-226315

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1329] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2021/चैत्र 11, 1943
No. 1329] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2021/CHAITRA 11, 1943

India Code

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2021

का.आ. 1440(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.10.2020 की अधिसूचना का.आ. 3449 (अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में चार पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों में चार पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के अन्य जिलों में निम्नलिखित चार पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 30.09.2021 तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए :-

(i) नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थाने;

(ii) निचली दिबांग घाटी जिले में रोइंग पुलिस थाना;

(iii) लोहित जिले में सनपुरा पुलिस थाना;

[फा. सं. 11011/104/2015-एन ई-V]

पियूष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2021

S.O. 1440(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of four police stations in the districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide notification S.O.3449(E) dated 01.10.2020.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of four police stations in districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of the following four police stations in other districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 up to 30.09.2021 w.e.f. 01.04.2021, unless withdrawn earlier: -

(i) Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district;

(ii) Roing police station in Lower Dibang Valley district;

(iii) Sunpura police station in Lohit district.

[F. No. 11011/104/2015-NE-V]

PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.04.01 00:05:40 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102021-230089
CG-DL-E-01102021-230089

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3712] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 1, 2021/आश्विन 9, 1943
No. 3712] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 2021/ASVINA 9, 1943

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4046(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.04.2021 की अधिसूचना का.आ. 1440(अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के अन्य जिलों में चार पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के अन्य जिलों में चार पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन.ई.-V]

पियूष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2021

S.O. 4046(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and the area falling within the jurisdiction of four police stations in other districts of Arunachal Pradesh bordering State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O. 1440(E) dated 01.04.2021.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts of Arunachal Pradesh and in the area falling within the jurisdiction of four police stations in other districts of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 from 01.10.2021 to 31.03.2022, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/104/2015-NE.V]

PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.10.01 00:06:56 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234754
CG-DL-E-01042022-234754

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1490] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2022/चैत्र 11, 1944
No. 1490] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2022/CHAITRA 11, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2022

का.आ. 1551(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.10.2021 की अधिसूचना का.आ.4046(अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 30.09.2022 तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन.ई.-V]

पियूष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2022

S.O. 1551(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O.4046(E) dated 01.10.2021.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts and in the area falling within the jurisdiction of Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 from 01.04.2022 to 30.09.2022, unless withdrawn earlier.

[F. No.11011/104/2015-NE.V]

PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.04.01 01:22:19 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092022-239233
CG-DL-E-30092022-239233

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4415] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944
No. 4415] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ ASVINA 8, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

का.आ. 4623(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 01.04.2022 की अधिसूचना का.आ.1551(अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों और नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2022 से छ: माह तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन.ई.-V]

पियूष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

S.O. 4623(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O.1551(E) dated 01.04.2022.

And whereas a further review of the law and order situation in Tirap, Changlang and Longding districts and in the area falling within the jurisdiction of Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for a period of six months with effect from 01.10.2022, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/104/2015-NE.V]

PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032023-244656
CG-DL-E-24032023-244656

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1369] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2023/चैत्र 3, 1945
No. 1369] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2023/CHAITRA 3, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2023

का.आ. 1422(अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 30.09.2022 की अधिसूचना का.आ.4623(अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई एवं महादेवपुर पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून और व्यवस्था की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई, महादेवपुर एवं चौखम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2023 से छ: माह तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन.ई.-V]

पियूष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2023

S.O. 1422(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai and Mahadevpur police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O.4623(E) dated 30.09.2022.

And whereas a further review of the law and order situation in the state of Arunachal Pradesh has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai, Mahadevpur and Chowkham police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for a period of six months with effect from 01.04.2023, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/104/2015-NE.V]

PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092023-249008
CG-DL-E-26092023-249008

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4063] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2023/आश्विन 4, 1945
No. 4063] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2023/ ASVINA 4, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2023

का.आ. 4231(अ).— यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 24.03.2023 की अधिसूचना का.आ.1422(अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई, महादेवपुर एवं चौखम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा की गई है।

इसलिए, अब, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले के नामसई, महादेवपुर एवं चौखम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2023 से छ: माह तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/104/2015-एन.ई.-V]

पियूष गोयल, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2023

S.O. 4231(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai, Mahadevpur and Chowkham police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam as 'disturbed area' vide Notification S.O.1422(E) dated 24.03.2023.

And whereas a further review of the law and order situation in the state of Arunachal Pradesh has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai, Mahadevpur and Chowkham police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for a period of six months with effect from 01.10.2023, unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/104/2015-NE.V]

PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. AMIT KUMAR JAISWAL